23

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

सत्रहवीं लोक सभा

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2021-22)

तेईसवां प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

तेईसवां प्रतिवेदन

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

(2020-21)

(सत्रहवीं लोक सभा)

संचार मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2021-22)

10.03.2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
10.03.2021 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2021/फाल्गुन, 1942 (शक)

विषय वस्तु

		पृष्ठ
समिति की संरचना		
संक्षेपाक्षर		
प्राक्कथन		
प्रतिवेदन		
	प्रतिवेदन	
	भाग - एक	
एक.	प्रस्तावना	
दो.	संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) पर समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
तीन.	दूरसंचार विभाग (2021-22)	
	(i) राजस्व खंड	
	(ii) पूंजी खंड	
चार.	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)	
पांच.	विभिन्न योजनाओं के लिए निधियों का आवंटन	
छह.	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ)	
	(1) सार्वभौमिक सेवा कर के संग्रहण की स्थिति	
	(2) भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति	
	(3) भारतनेट के अंतर्गत निधियों के उपयोग की स्थिति	
	(4) भारतनेट के उपयोग की स्थिति	
	(5) वामपंथी उग्रवाद क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान (चरण - दो)	
	(6) जम्मू व कश्मीर, लद्दाख और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के 354 असम्मलित गॉवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान	
	(7) आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान (i) आकांक्षी जिलों के 502 असम्मलित गॉवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान	
	(ii) आकांक्षी जिलों के 7287 असम्मलित गॉवों में मोबाइल सेवाओं का	

	प्रावधान	
सात.	रक्षा स्पेक्ट्रम: रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	
आठ.	दूरसंचार परीक्षण ओर सुरक्षा प्रमाणान केन्द्र (टीटीएससीसी)	
नौ.	दूरसंचार कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)	
दस.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा: बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई	
ग्यारह.	बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुररूद्धार योजना	
	(i) बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण	
बारह.	भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड का कार्यनिष्पादन	
	(ii) आईटीआई पुनरूद्धार योजना का कार्यान्वयन	
तेरह.	टेलीमेटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट)	
	भाग - दो	
	टिप्पिणयां/सिफारिशें	
	परिशिष्ट	
एक.	समिति की 13 फरवरी, 2021 को हुई बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	
दो.	समिति की 8 मार्च, 2021 को हुई इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की संरचना

डॉ. शशि थरूर - सभापति

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. श्री कार्ती पी. चिदंबरम
4. श्री सन्नी देओल
5. डॉ. निशिकांत दुबे
6. श्रीमती रक्षा निखिल खाडसे
7. डॉ. सुकान्त मजूमदार
8. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
9. सुश्री महुआ मोइत्रा
10. श्री पी. आर. नटराजन
11. श्री संतोष पान्डेय
12. श्री निशीथ प्रामाणिक
13. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
14. डॉ. जी रणजीत रेड्डी
*15. श्री जयदेव गल्ला
16. श्री संजय सेठ
17. श्री चन्दन सिंह
18. श्री तेजस्वी सूर्या
19. डॉ. टी. सुमति तामिझाची
20. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा
#21. श्रीमती सुमनलता अम्बरीश

राज्य सभा

22. डॉ. अनिल अग्रवाल
23. डॉ. सुभाष चन्द्र
24. श्री वाई. एस. चौधरी
25. श्री शक्तिसिंह गोहिल
26. श्री सुरेश गोपी
27. श्री मो. नदीमुल हक
28. श्री सैयद नासिर हुसैन
29. श्री सैयद जफ़र इस्लाम
30. डॉ. नरेन्द्र जाधव
31. श्री नबाम रेबिआ

सचिवालय

1.	श्री वाई. एम. कांडपाल	-	संयुक्त सचिव
2.	डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
3.	श्री सांगरिसो जिमिक	-	अवर सचिव

---

* बुलेटिन भाग-II दिनांक 15.10.2020 के माध्यम से समिति को नामनिर्देशित किया गया।
# बुलेटिन भाग-II दिनांक 28.12.2020 के माध्यम से समिति को नामनिर्देशित किया गया।

संक्षेपाक्षर

एजीआर	समायोजित सकल राजस्व
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीई	बजट अनुमान
सीसीईए	आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति
सीईआईआर	केंद्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर
सीओई	उत्कृष्टता केंद्र
सीएससी	सामान्य सेवा केंद्र
सीएसआर	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
डीओटी	दूरसंचार विभाग
डीसीसी	डिजिटल संचार आयोग
ईटीजी	सशक्त प्रौद्योगिकी समूह
जीओएम	मंत्रियों का समूह
आईटीआई	भारतीय दूरसंचार उद्योग
आईईबीआर	आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन
एलडब्ल्यूई	वामपंथी उग्रवाद
एलएसए	लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्र
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमओडी	रक्षा मंत्रालय
एमओएफ	वित्त मंत्रालय
एमएचए	गृह मंत्रालय
एमएनपी	मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी
एनएफएस	स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
आरई	संशोधित अनुमान
एसओसी	सिक्योरिटीज ऑपरेशन सेंटर
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
एसएपी	स्वच्छता कार्य योजना
टी-सर्ट	दूरसंचार कम्प्यूटर आपात प्रत्युत्तर दल
टीएसएएसीसी	टेलीकॉम स्टार्टअप एक्सेलेरेशन एंड एकेडेमिया कोलैबोरेशन सेंटर
टीओटी	प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण
यूएएल	यूनिवर्सल एक्सेस लेवी
यूएसओएफ	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि
यूएसएल	यूनिवर्सल सर्विस लेवी

प्राक्कथन

मैं, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का सभापति समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर उनकी ओर से संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के अनुदानों की मांगों (2021-22) विषय पर समिति का यह तेईसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

2. सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2019-20) का गठन 13 सितंबर 2020 को हुआ। लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड. में यथा निर्धारित समिति का एक कार्य संबंधित मंत्रालय/विभाग के अनुदानों की मांगों पर विचार करना और इस पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है।

3. समिति ने संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) से संबंधित वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की मांगों पर विचार किया जिसे 10 फरवरी, 2021 को सभा पटल पर रखा गया। समिति ने 13.02.2021 को संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. 08.03.2021 को हुई समिति की बैठक में प्रतिवेदन पर विचार किया गया और उसे स्वीकृत किया गया।

5. समिति संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के अधिकारियों को समिति के समक्ष उपस्थित होने और अनुदानों की मांगों की जांच करने के संबंध में समिति द्वारा मांगी गई सूचना देने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, समिति से संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए धन्यवाद देती है।

7. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को प्रतिवेदन के भाग-दो में मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है।

नई दिल्ली; 08 मार्च, 2021 17 फाल्गुन, 1942 (शक)	डॉ. शशि थरूर, सभापति, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग- एक

एक. प्रस्तावना

दूरसंचार को जनता के सशक्तिकरण के माध्यम से विकास करने और गरीबी को कम करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में विश्व भर में मान्यता प्रदान की गई है। यह संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2030 की धारणीय विकास कार्यसूची के धारणीय विकास लक्ष्यों (एसडीजी) का एक मुख्य घटक है, जिसमें इसकी बढ़ती हुई पहुंच, बेहतर नेटवर्क और उन साधनों समाधानों का उल्लेख किया गया है जो पद्धतियों के अंकीकरण (डिजिटाईजेशन), विकासशील और मध्यम आय वाले देशों में बैंकिंग और हेल्थकेयर जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की प्रक्रियाओं और सम्पर्को को बढ़ाते हैं। दूरसंचार क्षेत्र को भारत सरकार की सहायक नीतियों का समर्थन प्राप्त है। सरकार ने सेवा प्रदाताओं के बीच निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और एक ऐसी निष्पक्ष और सक्रिय विनियामक संरचना सुनिश्चित किया है जिसके परिणामस्वरुप दूरसंचार सेवाएं उपभोक्ताओं को वहनीय कीमतों पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त इसने दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए निरन्तर प्रयास किए हैं।

2. इस समय भारत 1.7 बिलियन के उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। भारत की बढ़ती हुई मोबाइल अर्थव्यवस्था अब सशक्त टेलीफोन अंशदानों का लगभग 98% भाग है। वहनीय प्रशुल्क, बड़े पैमाने पर उपलब्धता, मोबाइल नम्बर सुवाह्यता (एमएनपी) के रॉल आउट, 3जी और 4जी कवरेज के विस्तार, खपत पैटर्नों के विकास और समर्थक नीति एवं विनियामक वातावरण मोबाइल उद्योग की विशेषताएँ हैं।

3. सरकार ने अपने डिजिटल इंडिया अभियान के एक भाग के तौर पर देश में इन्टरनेट और ब्रॉडबैंड की वृद्धि पर पर्याप्त बल दिया है। मोबाइल अब भारत में इन्टरनेट

की पहुंच के लिए मुख्य प्लेटफार्म के रुप में उभरा है जिसके परिणामस्वरुप पहले कनेक्ट नहीं हुई जनता को कनेक्टिविटी उपलब्ध हो गई है। प्रत्येक भारतीय को समावेशी इन्टरनेट अभिगम की सुविधा प्रदान करके डिजिटल वितरण की ओर ध्यान देने के प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि मोबाइल प्रौद्योगिकी जनता को सशक्त बनाती है और यह सार्वजनिक सेवाओं के बड़े रेंज के अभिगम का महत्वपूर्ण साधन बन गया है।

दो. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2020-21) पर समिति के छठें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

4. संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानो की मांगों पर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) का छठा प्रतिवेदन 13 मार्च, 2020 को संसद में प्रस्तुत किया गया। दूरसंचार विभाग ने 6 जुलाई, 2020 को छठें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर अपनी की गई कार्रवाई टिप्पण प्रस्तुत किए। छठें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई संबंधी उन्नीसवां प्रतिवेदन 8 फरवरी, 2021 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट 13 सिफारिशों में से 06 सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। समिति ने 05 सिफारिशों पर टिप्पणी की थी और 03 सिफारिशों के उत्तर अंतरिम प्रकृति के थे जिस पर मंत्रालय से अंतिम उत्तर मांगे गए हैं। उन्नीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर अंतिम की गई कार्रवाई विवरण यथासमय संसद में प्रस्तुत किया जाएगा।

तीन. दूरसंचार विभाग बजट (2021-22)

5. दूरसंचार विभाग ने 10 फरवरी, 2021 को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मांग संख्या 13 प्रस्तुत किया। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए राजस्व और पूंजी खंडों के तहत वास्तविक; 2020-21 का बजट अनुमान (बीई), संशोधित अनुमान

(आरई) और वास्तविक; तथा 2021-22 का बजट अनुमान (बीई) और प्रस्तावित इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपये में)

प्रमुख शीर्ष	2017-18 वास्तविक	2018-19 वास्तविक	2019-20 वास्तविक	2020-21 बजट अनुमान	2020-21 संशोधित अनुमान	2020-21 वास्तविक (जनवरी, 21 तक)	2021-22 प्रस्तावित	2021-22 बजट अनुमान
राजस्व खंड	26848.39	24691.73	26392.44	48756.63	43948.88	37649.53	51587.71	41803.44
पूंजी खंड	4206.32	4041.44	9634.49	30675.06	8359.92	5689.53	11755.61	31133.56
कुल योग	**31054.71**	**28733.17**	**36026.93**	**79431.69**	**52308.80**	**43339.06**	**63343.32**	**72937.00**

(i) राजस्व खंड

6. राजस्व खंड के अंतर्गत शीर्षवार व्यय (जनवरी, 2021 तक) का ब्यौरा निम्नवत है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**शीर्ष का नाम**	**प्रमुख शीर्ष**	**बजट अनुमान 2020-21**	**संशोधित अनुमान 2021-22**	**जनवरी, 2021 तक का व्यय**
1	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	3451	678.32	706.38	534.35
2	पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071	13981.68	14481.08	13663.87
3	श्रम रोजगार एवं कौशल विकास	2230	2.85	4.46	0.01
4 (क)	बेतार तथा योजना समन्वय	3275	15.00	9.99	10.40
(ख)	मॉनीटरिंग सेवाएं	3275	40.00	30.00	31.27
(ग)	यूएसओएफ के लिए सेवाप्रदात्ताओं की क्षतिपूर्ति	3275	8000	7200	5424.88
(घ)	आरक्षित निधि में अंतरण	3275	8000	7200	5424.88
(ड.)	टीडीआईपी	3275	10.00	10.00	3.82

(च)	म.टे.नि.लि. बॉड्स पर ब्याज का भुगतान	3275	372.00	383.21	341.69
(छ)	श्री अमरनाथ यात्रा के दौरान टेलीकॉम सम्पर्कता प्रदान करने के लिए भा.दू.नि.लि. के लिए व्यवहार्यता अंतर निधियन	3275	1.00	0.00	0.00
(ज)	स्वच्छता कार्रवाई योजना (एसएपी) के लिए विशेष सहायता	3275	5.00	1.00	0.06
(झ)	अंतर्राष्ट्रीय समन्वय	3275	32.00	32.54	27.09
(ञ)	सीडीओटी	3275	323.00	305.92	268.53
(ट)	आईटीआई, बंगलौर	3275	300.01	86.00	85.40
(ठ)	ट्राई सामान्य निधि में ट्राईअंतरण	3275	70.00	100.00	70.00
(ड)	टीडीएसएटी	3275	18.91	17.00	14.27
(ढ)	एनआईसीएफ प्रशिक्षण	3275	13.92	3.60	2.08
(ण)	आईटीएस/बीडब्ल्यूएस अधिकारियों को प्रशिक्षण	3275	14.52	1.40	0.35
(त)	दूरसंचार सेक्टर में नवोपाय एवं भावी प्रौद्योगिकी के उष्मायन से संबंधित चैम्पियन सेवा सेक्टर योजना के लिए प्रावधान	3275	20.00	10.00	1.07
(थ)	4जी स्पैक्ट्रम पर जीएसटी के प्रावधान	3275	3674.00	0.00	0.00
(द)	भा.दू.नि.लि. एवं म.टे.नि.लि. के स्वेच्छा से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के लिए आवर्धित पेंशन	3275	3294.77	2160.30	1856.93
(ध)	सेवानिवृत्त भा.दू.नि.लि. एवं म.टे.नि.लि के कर्मचारियों को अनुग्रह राशि का भुगतान	3275	9889.65	11206.00	9889.65
	कुल राजस्व खंड (सकल)		**48756.63**	**43948.88**	**37649.53**

7. समिति ने यूएसओएफ, स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) हेतु विशेष सहायता, आईटीआई, बैंगलोर, एनआईसीएफ प्रशिक्षण, आईटीएस/बीडब्ल्यूएस अधिकारियों को प्रशिक्षण, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना, 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी का अनुदान, बीएसएनएल और एमटीएनएल के स्वेच्छा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए वृद्धिशील पेंशन आदि जैसे मदों के तहत 2020-21 के दौरान बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर किए गए आवंटन में भारी कमी को नोट किया है। जब इसके कारणों के बारे में पूछा गया तो विभाग ने बताया कि वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति के मद्देनज़र संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन को कम किया गया था जो कोविड 19-महामारी के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थिति के कारण अपेक्षा के अनुरूप नहीं था। अन्य प्रमुख कारण "4जी स्पेक्ट्रम हेतु जीएसटी का भुगतान करने के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल को सहायता अनुदान" के लिए किए गए आवंटन को वापस लेना है, जिसे अगले वित्त वर्ष में अंतरित किया जाएगा। यह आवंटन "4जी स्पेक्ट्रम हेतु बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूँजी निवेश") पूँजी खण्ड के तहत (के लिए किया गया है। अन्य सभी मदों के लिए केवल अतिआवश्यक व्यय किया जा रहा है तथा शेष देयताओं को अगले वित्त वर्ष में अंतरित किया जाएगा।

8. विशेष रूप से यूएसओएफ जैसी महत्वपूर्ण योजना के तहत वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में निधियों के उपयोग के संबंध में, विभाग ने बताया कि महामारी की परिस्थिति के परिणामस्वरूप सितम्बर, 2020 तक कुल व्यय के लिए निर्धारित की गई सीमा के कारण संशोधित अनुमान में आवंटित की गई 43948.88करोड़ रूपए की धनराशि की तुलना में जनवरी, 2021 तक 37649.63करोड़ रूपए व्यय किए गए थे। इस वित्त वर्ष के अंत तक विशेष रूप से यूएसओएफ जैसी महत्वपूर्ण स्कीमों के लिए शेष धनराशि का उपयोग कर लिया जाएगा।

9. वर्ष 2021-22 के दौरान 51587.71 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में राजस्व खंड के अंतर्गत बजट अनुमान 2021-22 में 41803.44 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। कम आवंटन के कारण प्रभावित होने वाले कार्यकलापों के बारे में

पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि कम आवंटन के कारण यूएसओएफ जैसी महत्वपूर्ण स्कीमों पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की प्रत्याशा नहीं है। स्कीमों की प्रगति और निधियों के उपयोग के आधार पर वित्त मंत्रालय से आवश्यकता पड़ने पर संशोधित अनुमान स्तर पर आवंटन को बढ़ाने का अनुरोध किया जाएगा। बजट-पूर्व परामर्श के दौरान, वित्त मंत्रालय ने इस बात पर बल दिया था कि दूरसंचार विभाग की मांग और सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में तालमेल रखा जाए क्योंकि कोविड19- महामारी से बचने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण राजस्व प्राप्तियों पर प्रभाव पड़ा है।

(ii) पूंजी खंड

10. वर्ष 2020-21 के लिए जनवरी, 2021 (पूंजी खंड) तक के व्यय का शीर्ष-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

(रुपये करोड़ में)

प्रमुख शीर्ष	**शीर्ष का नाम**	**बजट अनुमान 2020-21**	**संशोधित अनुमान 2020-21**	**व्यय जनवरी, 2021 तक**
4859	आईटीआई पुनरूद्धार (इक्विटी निवेश)	105.00	105.00	105.00
5275	भा.सं.नि.लि. एवं म.टे.नि.लि. में 4जी स्पेक्ट्रम हेतु पूँजी निवेश	20410.00	0.00	0.00
	प्रमुख निर्माण कार्य	0.05	0.00	0.00
	अन्य प्रमुख निर्माण कार्य	21.00	4.90	3.54
	डब्ल्यूपीसी	0.05	0.01	0.00
	मॉनीटरिंग सेवाएं	3.95	5.01	0.03
	ट्राई बिल्डिंग	0.00	113.00	0.00
	रक्षा सेवाओं के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क (एनएफएस)	5000.00	4000.00	2749.50
	एनएफएस के लिए सीआरआईएफ में अंतरण	5000.00	4000.00	2749.50

	बेतार सेट तथा उपकरण	20.00	18.00	9.83
	संचार वित्त प्रशिक्षण संस्थान (एनआईसीएफ)	30.01	35.00	29.60
	भा.सं.नि.लि. के लिए सेटेलाइट गेटवे सहायता की स्थापना	10.00	11.52	10.00
	दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र	10.00	5.00	0.00
	दूरसंचार कम्प्यूटर आपात प्रत्युत्तर दल (टी-सीईआरटी)	10.00	6.47	0.00
	केन्द्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)	10.00	5.02	0.00
	स्वदेशी 5जी टैस्ट बैड	45.00	55.90	32.53
	कुल पूंजी खंड (सकल)	**30675.06**	**8359.92**	**5689.53**

11. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूँजी खण्ड के तहत जनवरी, 2021 तक वास्तविक उपयोग केवल 5689.53करोड़ रूपए था, समिति ने पूछा कि क्या विभाग शेष माह में पूँजी खण्ड के तहत निधियों के उपयोग में वृद्धि होने की आशा करता है, इसके उत्तर में विभाग ने बताया है कि एनएफएस)रक्षा सेवा के लिए ओएफसी आधारित नेटवर्क(, ट्राई तथा अन्य स्कीमों के लिए आवंटित की गई कुल धनराशि का पूर्ण उपयोग इस वित्त वर्ष 21-2020के अंत तक कर लिया जाएगा।

12. बीएसएनएल और एमटीएनएल हेतु 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूँजी निवेश, प्रमुख निर्माण कार्य, डब्ल्यूपीसी, ट्राई बिल्डिंग, दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केन्द्र, दूरसंचार कम्प्यूटर आपात प्रत्युत्तर दल)टी-सीईआरटी(, केन्द्रीय उपकरण पहचान रजिस्टर)सीईआईआर (जैसी स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग 'शून्य' नोट किया गया है। जब उनसे 'शून्य' उपयोग के कारणों के बारे में पूछा गया, तो विभाग ने निम्नवत कारण प्रस्तुत किए हैं:

"4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूँजी निवेश -:इसके लिए 20, 410करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की गई थी। निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण इस आवंटन को अगले वित्त वर्ष)बजट अनुमान (22-2021में अंतरित कर दिया गया है।

प्रमुख निर्माण कार्य तथा डब्ल्यूपीसी -:बजट अनुमान 21-2020में केवल 0.05 करोड़ रूपए का सांकेतिक प्रावधान किया गया है। संशोधित अनुमान 21-2020में कम आवंटन के कारण संशोधित अनुमान स्तर पर कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी।

ट्राई भवन-: इस परियोजना को चालू वित्त वर्ष के दौरान अनुमोदित किया गया था जिसके कारण केवल संशोधित अनुमान स्तर पर निधि आवंटित की गई थी। इस राशि को मार्च, 2021 से पहले उपयोग कर लिया जाएगा।

सीईआईआर -:सी-डॉट को 5.02करोड़ रूपए के बिल का भुगतान किया जाना लंबित है जिसका भुगतान दिनांक 31.03.2021तक कर दिया जाएगा।

टी-सीईआरटी -:कोरोना महामारी के कारण सी-डॉट द्वारा सीईआरटी-टी परियोजना उपकरण से संबंधित जारी किए गए कई क्रय-आदेशों को विक्रेताओं ने आपूर्ति कर पाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए इन क्रय आदेशों को निरस्त कर दिया गया था। देश में कोरोना महामारी की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है और क्रय-आदेशों को पुन :जारी किया गया है। वित्त वर्ष 21-2020के लिए संशोधित अनुमान 6.47करोड़ रूपए है तथा संबंधित इकाई अर्थात सुरक्षा आश्वासन स्कंध, दूरसंचार विभाग द्वारा बजट अनुभाग से सी-डॉट के लिए निधियों को जारी करने हेतु फाइल चलाई गई है। पीओसी को नियमित परियोजना में अंतरित करने से संबंधित डीपीआर हेतु अनुमोदन प्राप्त करने तथा भारत में स्थित सभी आईएसपी गेटवे स्थलों को शामिल करके उक्त परियोजना का विकास करने, संस्थापना करने तथा प्रचालन करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहें हैं।

टीटीएससी -:एनसीसीएस, बेंगलूरू में 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड की स्थापना करने के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान 21-2020के तहत निधियों का परियोजना आवंटन मांगा गया था। विभिन्न कार्य-कलाप अर्थात परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने तथा परियोजना अनुमान निर्धारित करने का कार्य वर्ष 21-2020के दौरान किया गया था। इस समय परियोजना प्रस्ताव और परियोजना अनुमान को अनुमोदन और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। कोविड महामारी परिस्थिति के कारण कार्यकलापों में कुछ देरी हुई है।"

13. विभाग ने यह भी बताया कि सर्वप्रथम "4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूँजी निवेश" के तहत 'शून्य' उपयोग किया गया है जिसके लिए 20410 करोड़ रूपए की धनराशि आवंटित की गई थी। निविदा प्रक्रिया में देरी होने के कारण इस आवंटन को अगले वित्त वर्ष)बीई (22-2021में अंतरित कर दिया गया है।

चार. आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)

14. आईईबीआर भारत सरकार की केंद्रीय योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा मुनाफे, ऋण और इक्विटी के माध्यम से जुटाए गए संसाधनों से मिलकर बनता है। आईईबीआर की स्थिति इस प्रकार है:

(करोड़ रूपए में)

आईईबीआर	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
प्रस्तावित					
बजट अनुमान	13945.67	13177.13	13423.86	14187.28	12244.28
संशोधित अनुमान	10803.39	12574.39	13468.20	13370.77	---
वास्तविक	9733.82	8009.57	7161.00	5490.67	---
संशोधित अनुमान के संबंध में %	90.09%	63.69%	53.16%	41.06%	---

15. वर्ष 2020-21 के दौरान बीई 2020-21 में 14187.28 करोड़ रूपए का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसे आरई 2020-21 में कम करके 13370.77 करोड़ रूपए कर दिया गया था तथा केवल 5490.67 करोड़ रूपए की वास्तविक उपलब्धि हुई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान बीई स्तर पर 12244.8 करोड़ रूपए का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया था। समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि वर्ष 2021-22 के दौरान इतना विशाल आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित करने का कारण क्या है, विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि बीई 2021-22 के लिए 12,244.80 करोड़ रूपए का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से 7000 करोड़ रूपए का सबसे बड़ा लक्ष्य बीबीएनएल के लिए निर्धारित किया गया है तथा 5000 करोड़ रूपए का दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य बीएसएनएल के लिए निर्धारित किया गया है। बीबीएनएल ने भारतनेट परियोजना हेतु यूएसओएफ से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में इस लक्ष्य को निर्धारित किया है। बीएसएनएल बैंक ऋण के माध्यम से लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना बना रहा है।

16. यह पूछे जाने पर कि क्या इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, विभाग ने बताया कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल, आईटीआई लिमिटेड, बीबीएनएल तथा सी-डॉट अपने आईईबीआर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे बशर्ते उनके अपेक्षित राजस्व/रोकड़ प्रवाह अथवा बैंक ऋण लक्ष्यों में कोई प्रमुख कमी न हो।

पांच. विविध योजनाओं के लिए निधियों का आवंटन

17. विविध योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित ब.अ., सं.अ. तथा वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित ब.अ. इस प्रकार है:

(करोड रुपए में)

क्र.सं.	योजनाएं	2020-21 प्रस्तावित	2020-21 बजट	2020-21 संशोधित	2020-21 वास्तविक	2021-22 प्रस्तावित	2021-22 बजट

			अनुमान	**अनुमान**	**(जनवरी, '20 तक)**		**अनुमान**
1	यूएसओएफ	8000.00	8000.00	7200.00	5424.88	13250.00	9000.00
2	एनएफएस	7000.00	5000.00	4000.00	2749.50	5440.20	5200.00
3	क .बेतार योजना एवं समन्वय (डब्ल्यूपीसी)	17.68	15.05	10.00	10.40	18.75	14.00
4	ख.मॉनीटरिंग सेवा (डब्ल्यूएमओ)	144.32	64.95	35.00	34.84	132.67	49.05
5	टेलीकाम इंजीनियरिंग सेन्टर (टीईसी)	40.03	20.00	18.00	9.83	27.76	20.00
6	मानव संसाधन प्रबंधन -राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ एवं एनटीपीआर आईटी)	125.80	58.45	40.00	32.03	121.33	80.00
7	प्रौद्योगिकी विकास एवं निवेश संवर्धन (टीडीआईपी)	21.20	10.00	10.00	3.82	28.00	9.00
8	बीएसएनएल को सेटेलाइट गेटवे सहायता प्रदान करना	12.00	10.00	11.52	10.00	0.01	0.01
9	दूर संचार विभाग के लिए नए भवन का निर्माण	0.05	0.05	0	0.00	0.01	0.01
10	श्री अमर नाथ की यात्रा के दौरान दूर संचार कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बीएसएनएल को व्यवहार्यता	1.00	1.00	0	0.00	1.00	1.00

	अन्तर वित्त पोषण						
11	टेलीकॉम टेस्टिंग एवं सिक्योरिटी सर्टिफिकेट सेन्टर (टीटीएससी)	10.00	10.00	5.00	0.00	50.65	15.00
12	टेलाकॉम कम्प्यूटर इमरजेंसी रेस्पोंस टीम (टी-सर्ट)	11.94	10.00	6.47	0.00	127.82	23.00
13	केंद्रीय उपस्कर पहचान रजिस्टर (सीईआईआर)	20.00	10.00	5.02	0.00	80.00	13.00
14	स्वच्छता एक्शन प्लान	5.00	5.00	1.00	0.06	2.50	2.50
15	5जी कनेक्टिविटी टेस्ट बेड	47.51	45.00	55.90	32.53	0.01	0.01
16	चैम्पियन सर्विसिज सेक्टर स्कीम- दूरसंचार सेक्टर के भविष्य प्रौद्योगिकियों के नवाचार एवं उद्भवन का संवर्धन	50.07	20.00	10.00	1.07	57.40	5.00
	कुल	**15506.60**	**13279.50**	**11407.91**	**8308.96**	**19338.11**	**14431.58**

छह. सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि)यूएसओएफ(

18. यूएसओएफ की विविध योजनाओं के लिए वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित ब.अ., सं.अ. तथा वास्तविक व्यय एवं वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तावित ब.अ. इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	**स्कीम**	**2020-21**	**2020-21**	**2020-21**	**2020-21**	**2021-22**	**2021-22**

		प्रस्तावित	ब.अ.	सं.अ.	वास्तविक	प्रस्तावित	ब.अ.
1.	भारतनेट	6000	6000	5500	4341.85	10000	7000
2.	अन्य यूएसओएफ स्कीमें	2000	2000	1700	1083.21	3250	2000
कुल		8000	8000	7200	5425.06	13250	9000

19. समिति द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान ब.अ. तथा सं.अ. में अंतर का कारण जानने इच्छा व्यक्त करने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में बताया कि यह सूचित किया जाता है कि बजट अनुमान 2020-21 के लिए 8000 करोड़ रुपए (भारत नेट के लिए 6000 करोड़ रुपए 2000 करोड़ रुपए अन्य यूएसओएफ योजनाओं के लिए) प्राप्त किए गए थे। यूएसओएफ/दूरसंचार विभाग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 8000 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान प्रस्तावित किया था जिसके प्रति वित्त मंत्रालय द्वारा 7200 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान (5500 करोड़ रुपए भारत नेट तथा 1700 करोड़ रुपए अन्य यूएसओएफ योजनाओं के लिए) आबंटित किया गया है। यूएसओएफ की अन्य योजनाओं के लिए संशोधित अनुमान का प्रस्ताव योजना के वास्तविक कार्यान्वयन और प्रगति को ध्यान में रखते हुए किया गया है। लैफ्ट विंग आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों (एलडब्ल्यूई चरण II) में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान से संबंधित अर्हता प्रस्ताव प्रौद्योगिकी के चयन से संबंधित विचार से रद्द कर दिया गया तथा अर्हता प्रस्ताव के स्थान पर एक निविदा प्राप्त की गई थी। एलडब्ल्यूई-II परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी का चयन अब डीसीसी के अनुमोदन से दिनांक 1.12.2020 को 2जी+4जी के स्थान पर 4 जी के लिए 2542 साइटों के लिए किया गया है। पूर्वोत्तर मोबाइल कनेक्टिविटी (अरूणाचल प्रदेश और मेघालय को छोड़कर अन्य सभी राज्य) की समय सीमा को प्राकृतिक आपदाओं और दुर्गम क्षेत्र के कारण बढ़ाना पड़ा है।

20. विभाग ने यह जानकारी दी कि यूएसओएफ के अंतर्गत प्राथमिकता वाली योजनाएं भारतनेट, लैफ्टविंग आतंकवाद)एलडब्ल्यूई(, पूर्वोत्तर तथा द्वीप समूहों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, लद्दाख के कवर न किए गए 354वंचित ग्रामों में मोबाइल सेवाएं शुरू करना, महात्वाकांक्षी जिलों और बार्डर आउटपोस्ट में मोबाइल सेवाएं शुरू करना है।

21. विभाग द्वारा यह जानकारी दी गई है कि वित्त मंत्रालय से वित्तीय वर्ष -2019 20के संशोधित आबंटन के अंतर्गत 3000करोड़ रुपए 2000)करोड़ रुपए भारत नेट के लिए तथा 1000करोड़ रुपए अन्य यूएसओएफ योजनाओं के लिए (प्राप्त किए गए हैं जिनमें से दूर संचार विभाग के अनुरोध पर 74करोड़ रुपए का पुन :विनियोजन किया गया है।

22. समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि ऐसा क्यों है कि वर्ष 2019-20 के दौरान दूरसंचार विभाग के लिए यूएसओएफ से 74 करोड़ रुपये की राशि का पुन :विनियोजन किया गया था**,** विभाग ने बताया कि राजस्व खंड में कई शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त धन की तत्काल आवश्यकता थी जिसके कारण 74 करोड़ रुपये की राशि का पुन : विनियोजन किया गया। हालांकि यूएसओएफ के संभावित संतुलन को इस पुन : विनियोजन से समाप्त नहीं किया गया है, क्योंकि शेष राशि यूएसओएल की कुल यूएसएल)यूनिवर्सल सर्विस लेवी (संग्रह से यूएसओएफ योजनाओं पर खर्च की गई कटौती द्वारा प्राप्त की गई है। यूएसओएफ में उपलब्ध निधि का उपयोग केवल यूएसओएफ के घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

23. बैठक के दौरान इस संबंध में दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि ने बताया कि:

"महोदय, हम यूएसओएफ में कुछ धनराशि का खर्च नहीं कर पा रहे थे, हम इसका उपयोग अन्य शीर्षों के अंतर्गत कर रहे हैं। बस यही बात थी। मेरा मतलब

है कि उस वर्ष हम यूएसओएफ के लिए प्रदान की गई निधि को खर्च करने में असमर्थ थे, यदि हमारे पास संबंधित शीर्षों में अधिशेष राशि हो, तो हमें अन्य शीर्षों में निधि का उपयोग करने का अधिकार दिया गया है। यह एक राजस्व से अन्य राजस्व तक जाने जैसी बात है। हमने केवल राजस्व खंडों के अंतर्गत खर्च किया है। हमें इसके लिए अधिकार प्रदान किया गया है....xxx.....ऐसा विनिर्दिष्ट है, श्रीमान्। हम इसे घटा लेते हैं तथा अगले वर्ष इसे पुन: प्रदान कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इस राशि को हमेशा बाहर ही कर लेते हैं। यह यूएसएफ को वापस किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय इसके लिए स्वीकृति प्रदान करता है।"

(1) सार्वभौमिक सेवा कर के संग्रहण की स्थिति

24. यूएसओएफ की स्थापना के बाद यानी वर्ष 2002-03 से 1,12,649.50 करोड़ रुपये वसूलेगए हैं। संसदीय अनुमोदन के माध्यम से प्राप्त 57,432.56 करोड़ रु. की अंतिम आबंटन राशि संबंधित वर्षों में शीर्ष 8235 सामान्य एवं रिजर्व निधि-118 यूएसओ निधि को हस्तांतरित किया गया था और इस प्रकार से स्थानांतरित किया गया संपूर्ण आवंटन और यूएसओ निधि में स्थानांतरित राशि संबंधित वर्षों में उपयोग किया गया है। दिनांक 31.12.2020 तक यूएसओ के तहत संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यूएएल शेष राशि 55,216.94 करोड़ रु. है। प्रारंभ मेंयूएसओएफ फोकस कम पूंजी व्यय की आवश्यकता वाली सेवा प्रावधान परियोजनाओं पर केंद्रित था। अब इसका ध्यान मुख्य रूप से पूंजी गहन और बुनियादी ढांचा वाली परियोजनाओं यानी भारतनेट, वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई), पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीप समूह के लिएव्यापक टेलीकॉम विकास योजनाओं, लद्दाख के354 सेवा वंचित गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान, आकांक्षी जिला और बॉर्डर आउट पोस्ट में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान पर है । उपलब्ध निधि का उपयोग चल रही/आगामी योजनाओं के प्रति प्रत्याशित संवितरण को पूरा करने और यूएसओएफ की विभिन्न योजनाओं के तहत उनकी प्रतिबद्ध आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यूएसओएफ विभिन्न योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक

व्यय की पूर्ति के लिए बजटीय प्रावधानों को तैयार करता है औरनिधि की आवश्यकता कोदूरसंचार विभाग के बजट शाखा के माध्यम से वित्त मंत्रालय को आगे भेज देता है। दूरसंचार विभाग के बजट शाखा के माध्यम से वित्त मंत्रालय से प्राप्त आवंटन का उपयोग यूएसओएफ की अनुमानित स्कीमों के तहत किए गए व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। वित्त मंत्रालय ने दिनांक 28-01-2014 के अपने पत्र सं. एफ-2(35)-बी(एसी)/ 2009 के माध्यम से बताया है कि जैसे और जब यह योजना शुरू होती है, सरकार यूएसओ निधि की स्कीमों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

25. यूएसओएफ के इष्टतम उपयोग के लिए विभाग की योजनाओं के विषय में समिति द्वारा पूछे जाने पर विभाग ने बताया कि यूएसओएफ ने विभिन्न यूएसओएफ परियोजनाओं यानी भारतनेट, वामपंथी उग्रवाद)एलडब्ल्यूई(, पूर्वोत्तर क्षेत्र और द्वीपों के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजनाएं, लद्दाख के 354 सेवा वंचित गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान, आकांक्षी जिलोंतथा बॉर्डर आउट पोस्टमें मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के तहत देनदारियां की हैं। उपलब्ध फंड का उपयोग चालू /आगामी योजनाओं के प्रति प्रत्याशित संवितरण को पूरा करने और यूएसओएफ की विभिन्न योजनाओं के तहत उनकी प्रतिबद्ध आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

26. यह पूछे जाने पर कि क्या यूएसएल की दरों में संशोधन करने के लिए विभाग को टीएसपी से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि विभाग को सार्वभौमिक सेवा लेवी (यूएसएल) की दर में संशोधन के लिए टीएसपी/ उद्योग निकाय से प्रस्ताव मिले हैं जो वर्तमान में समायोजित सकल राजस्व का 5% है।फिलहाल यह तय किया गया है कि दर को कम नहीं किया जाए क्योंकि यह यूएसओएफ के पास उपलब्ध संसाधन को समाप्त कर देगा। संभावित निधि के रूप में उपलब्ध शेष राशि, जोकि ऐसा प्रतीत कराता है जैसे कि एक बड़ी राशि अप्रयुक्त रहती है, अपनी योजनाओं के लिए यूएसओएफ की प्रतिबद्धताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

27. दूरसंचार विभाग के सचिव ने अपनी बैठक के दौरान कहा कि:

"आपने यूएसओएफ के बारे में भी उल्लेख किया था। यूएसओएफ दूरसंचार विभाग के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। हमारे पास कई योजनाएं हैं। मैं आपके साथ हमारी निधि की उपलब्धता के बारे में बात करूंगा। यूएसओएफ के अंतर्गत 03-2002से अब तक कुल प्रोद्भूत राशि लगभग 1,14,963 करोड़ रुपये की है। आवंटित और वितरित की गई धनराशि करीब 57,448 करोड़ रुपये है जिससे हमारे पास करीब 57,515 करोड़ रुपये की राशि शेष बचती है। इस आंकड़े के मुकाबले हमारी कुल प्रतिबद्ध देनदारियां और परियोजना लागत करीब 33,181 करोड़ रुपये होगी। अभी, हमारे पास निधि और देनदारियों के मामले में लगभग बराबर की स्थिति है, लेकिन यूएसओएफ के लिए हर साल, एक उपार्जन की स्थिति होती है क्योंकि हमें यूएसओएफ के लिए लाइसेंस शुल्क के रूप में एजीआर का पांच प्रतिशत मिलता है। इसलिए, टीएसपी के राजस्व में सुधार के साथ, यूएसओएफ के अंतर्गत उपार्जन में हर साल वृद्धि होगी। आज हमारे पास जो कुछ है, महोदय, वह हमारी वर्तमान योजनाओं के लिए पर्याप्त है, लेकिन हम महत्वाकांक्षी हैं । हम और अधिक योजनाओं के लिए विचार कर रहे हैं और हर साल हमें यूएसओएफ की अपनी किटी में भी कुछ जोड़ना चाहिए।"

(2) भारतनेट के कार्यान्वयन की प्रगति

28. 19.07.2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट को तीन चरणों में लागू करने के लिए एक संशोधित रणनीति को मंजूरी दी:

चरण-एक - (संशोधित वर्क फ्रंट के साथ)	कार्यान्वयन अधीन 1,25,000 ग्राम पंचायतों का कार्य-निष्पादन 3 सीपीएसई नामत: बीएसएनएल, रेलटेल, पीजीसीआईएल द्वारा किया जा रहा है।
चरण-दो-	शेष 1,25,000 ग्राम पंचायतों (अनुमानत:) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

चरण-तीन-	भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेटवर्क का स्तर उन्नयन करना।

29. चरण-दो का कार्य मुख्यत 8 :राज्यों)राज्य लैड मॉडल पर लगभग 65000जीजी (तथा बीएसएनएल)सीपीएसयू लैड मॉडल में 23000ग्राम पंचायत (पर निर्भर था। बीएसएनएल अपने आंतरिक मामलों एवं वित्त के कारण क्षमता बाध्यताओं से जूझ रहा था। इसके अलावा, स्टेट लैड मॉडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना एवं उड़ीसा राज्य आशा से कहीं अधिक धीमा कार्य कर रहे थे। तमिलनाडु में कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया की जा रही है। कार्यान्वयन में देरी एवं न्यून उपयोज्यता के कारण मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीतिआयोग की अध्यक्षता वाली एक समिति में भारत नेट के निर्माण, उन्नयन, परिचालन एवं अनुरक्षण तथा उपयोज्यता के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी की अनुशंसा की गई थी, जिसके संबंध में प्रक्रिया की जा रही है।

30. पीपीपी मॉडल को अंतिम रूप देने की स्थिति पर विभाग ने बताया कि भारतनेट में पीपीपी मॉडल दूरसंचार विभाग के पास अनुमोदन के चरण में है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए यूएसओएफ/दूरसंचार विभाग द्वारा कैबिनेट नोट तैयार किया जा रहा है।

31. विविध राज्यों में योजना के प्रस्ताव पर दूरसंचार विभाग के सचिव ने साक्ष्य के दौरान बताया कि:

> “महोदय, 1,25,000 में से 65,000 ग्राम पंचायतें राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल में हैं। अब ये राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु उनमें से एक है। तमिलनाडु में एक टेंडर हुआ था जिसे कुछ शिकायतें मिलने के कारण रद्द कर दिया गया था। इसके बाद अब नए सिरे से टेंडर हुआ है। फिर से शिकायतें आ रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमें इसका समाधान करने में सक्षम होंगे। और इस बार उनका टेंडर गांवों तक है। इसलिए, यदि ऐसा किया जाता है, तो मेरे

विचार से तमिलनाडु इस परियोजना को एक वर्ष के समय में पूरा करने में सक्षम होगा। आगे हमारे पास आन्ध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में काम शुरू हो गया था। उन्होंने भूमिगत फाइबर हवाई जमीन से ऊपर के मार्ग पर फाइबर को चुना। फिर राज्य सरकार बदल गई और नई सरकार ने निर्णय लिया कि उन्हें हवाई फाइबर नहीं चाहिए और अब वे भूमिगत फाइबर लेंगे। इसलिए उनका मॉडल बदल गया। महोदय, दिए गए काम के साथ समस्याएं थीं। लेकिन परसों हमने उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की थी। मेरा मानना है कि आंध्र प्रदेश का मसला भी हल हो जाएगा। तेलंगाना के बारे में यह अलग है जहां एक ग्राम पंचायत का एक गांव के बराबर है। पश्चिम बंगाल या असम में ऐसा नहीं है। पश्चिम बंगाल में गांवों की संख्या ग्राम पंचायतों की तुलना में 13 गुना है। लेकिन तेलंगाना में यह 1:1 है। वहां काम काफी धीमा रहा। हमने राज्य सरकार के साथ मिलकर कार्रवाई की है। इसका एक कारण, निश्चित रूप से कोविड था, लेकिन अब ऐसी उम्मीद है कि कोविड कम हो रहा है, तो इस काम की रफ्तार बढनी चाहिए। गुजरात के मामले में, हाल ही में 90 प्रतिशत से अधिक काम पूरा हो गया, हालांकि इसमें एक साल की देरी हो चुकी है। इसलिए यहां भी हमें बताया गया है कि अगले दो महीने में चरण-2 के लिए उनका काम पूरा हो जाएगा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बारे में दूसरे चरण के लिए फिर से राज्य के नेतृत्व वाला मॉडल है। ठेकों के मामले में कोई समस्या नहीं है, लेकिन पिछले एक साल में काम बहुत धीमा रहा, जिसके कारण स्पष्ट रहे। अब यहां भी काम की गति तेज हुई है। उत्तराखंड एक अन्य राज्य है, जो अब राज्य के नेतृत्व के स्तर पर चल रहा है। हम उन्हें शीघ्र ही अनुमोदन दे देंगे। पहले राज्य स्तर का कोई नेतृत्व नहीं था। अब उन्होंने अनुरोध किया है और विशेष प्रकार के भूभाग आदि के कारण हम इससे सहमत हो गए हैं। इसके अलावा, महोदय, अब हम पीपीपी मॉडल के लिए आगे बढ रहे हैं। माननीय समिति ने यह भी कहा था कि वे

पीपीपी मॉडल के पक्ष में हैं। लेकिन ऐसा पूरे देश के मामले में नहीं है; यह सीमित संख्या के राज्यों के लिए होगा क्योंकि हमने राज्य के नेतृत्व वाले मॉडल राज्यों को इस मॉडल से बाहर रखा है। इसलिए 16 राज्यों की पहचान की गई है। हम उस पर काम कर रहे हैं। हमें वित्त मंत्रालय के अंतर्गत पीपीपीएसी समिति नामक विशेषज्ञ निकाय से मंजूरी मिली है। वे पहले ही इसे अनुमोदित कर चुके हैं। हम इसे शीघ्र ही मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए ले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि खपत किए गए डेटा के टेराबाइट के मामले में नेटवर्क के हमारे उपयोग में तेजी से सुधार हो रहा है । हमने नेटवर्क ऑपरेटिंग सेंटर बनाया है। हमारे पास एक डैशबोर्ड है। अब, हम वास्तव में इस बात की निगरानी कर सकते हैं कि कहां क्या हो रहा।"

(3) भारतनेट के अंतर्गत निधियों के उपयोग की स्थिति

32. वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान निधियों के उपयोग की स्थिति (31.11.2020 तक) और प्रस्तावित और ब.अ. 2021-22 का विवरण इस प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
प्रस्तावित	10402.51	8000.00	6000.00	6000.00	10000.00
ब.अ.	10000.00	8175.00	6000.00	6000.00	7000.00
सं.अ.	6000.00	4145.54	2000.00* (1657 करोड़ रुपए के लिए पुन: विनियोजित)	5500.00	-
वास्तविक	6000.00	4145.54	1657.74	4341.85 (31.12.2020 की स्थिति)	-
सं.अ .	100%	100%	100%	79%	

का%					

33. मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार भारत नेट को पूरा करने की समय-सीमा सभी 2,50, 000ग्राम पंचायतों को जोडने के लक्ष्य के साथ मार्च 2019 की थी। चूंकि यह देश में फैली व्यापक प्रकृति की मेगापरियोजना है, अत :मार्च 2019 तक मात्र 1.18 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा सका था। विभिन्न मॉडलों के अन्तर्गत प्रगति के आधार पर परियोजना को अगस्त, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य है। यह समय सीमा अब कोविड 19के कारण विभिन्न सरकारों द्वारा लॉकडाउन एवं आवाजाही के संबंध में लगाए गए प्रतिबंधों के विचार से विस्तारित की जानी अपेक्षित है।

34. यह पूछे जाने पर कि परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या आवश्यक उपाय किए गए हैं, विभाग ने बताया कि इन मुद्दों के समाधान के लिए किए गए उपाय इस प्रकार हैं: नियमित आधार पर उच्चतम स्तर (संचार मंत्री /एमओएससी/ सचिव (दूरसंचार)) पर आवधिक निगरानी, परियोजना के निष्पादन के लिए कई एजेंसियों जैसे राज्य, सीपीएसयूएस और निजी क्षेत्र के मॉडल आदि को शामिल करते हुए विभिन्न मॉडलों के माध्यम से कार्य का निष्पादन, राज्यों द्वारा वन, एनएचएआई और रेलवे आरओडब्ल्यू की अनुमति से आरओडब्ल्यू अनुमति के सरलीकरण के लिए कदम उठाया जाना, दिनांक 19.07.2019 को 2 वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट के लिए भारतनेट चरण-I के संचालन, रखरखाव और उपयोग को सीएससी-एसपीवी, जोकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारतसरकार के अधीन एक संगठन है, को दिया जाना, जिसे बाद में दिनांक18.12.2019 को पांच सरकारी संस्थानों में वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट में से एक के स्थान पर 5 एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था, शेष ग्राम पंचायतों और इष्टतम ओएंडएम के त्वरित कार्यान्वयन के लिए पीपीपी मॉडल में माइग्रेशन और 6 लाख बसे हुए गांवों तक कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए संशोधित अधिदेश

के अनुसार 3.5 लाख गांवों को जोड़ने के लिए 9 पैकेजों के माध्यम से 16 राज्यों के लिए नेटवर्क का उपयोग। राज्य आधारित मॉडल के तहत राज्यों के अंतर्गत आने वाले शेषज्यादातर गांवोंपर राज्यों के परामर्श से काम किया जा रहा है।

(4) भारतनेट के उपयोग की स्थिति

35. दिनांक 15.1.2021 की स्थिति के अनुसार भारत नेट द्वारा किए गए कार्यान्वयन/प्राप्त उपलब्धियों की समग्र स्थिति निम्नानुसार है:

1.	निधियों का उपयोग	दिनांक 31.12.2020 तक 25,101.05 करोड़ रुपए रुपए (25,631 करोड़ रुपए प्राप्त(
2.	बिछाई गई ओएफसी	4,89,739 किलोमीटर
3.	सम्पर्कित ग्राम पंचायतों की संख्या/ सेवा के लिए तैयार	1,51,404 (3497 बीएचक्यू सहित(
4.	वाई-फाई हॉट स्पाट्स से युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या	1,04,026
5.	एफटीटीएच कनेक्शनों की संख्या	4,84,506
6.	फाइबर की लीजिंग	18,039 किलोमीटर
7.	भारत नेट बैंडविड्थ की लीजिंग	38,29,401 एमबीपीएस
8.	प्रति माह डेटा खपत	14,67,493 जीबी

36. भारत नेट का कार्यान्वयन देश में लगभग सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतें) को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जा रहा है तथा इस योजना का विस्तार सभी 6 लाख ग्रामों के निवासियों के लिए किया गया है। भारत नेट

परियोजना के राज्य आधारित एवं सीपीएसयू आधारित मॉडल के अंतर्गत शेष बचे कार्य को पूरा करने तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल का कार्यान्वयन करने के लिए किया गया है।

37. इसके अलावा, डीसीसी द्वारा दिनांक 18.9.2020 को दिए गए अनुमोदन के पश्चात पीपीपी-एसीसे 16 राज्यों यथा केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश (पूर्व(, उत्तर प्रदेश(पश्चिम(, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, मध्यप्रदेश, असम एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के 6 राज्यों) अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर तथा नागालैंड (को 9 पैकेजों में विभाजित करके लगभग 3.5 लाख ग्रामों में सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत शामिल किया गया है।

38. महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाणा, उड़ीसा, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ के 8 राज्यों को राज्य आधारित मॉडल से अलग किया गया है तथा इनके संबंध में ग्राम पंचायत सम्पर्कता एवं ग्रामों तक सेवाओं के विस्तार के कार्यों को पूरा करने पर विचार किया जा रहा है। रणनीतिक कारणों से जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, पुद्दुचेरी तथा सिक्किम राज्यों को भारत संचार निगम लिमिटेड के माध्यम से कवर किया गया है तथा उत्तराखंड राज्य को राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत शामिल किए जाने पर विचार किया जा रहा है। बिहार को पहले से ही सीएससी-एसपीवी के माध्यम से अंतिम छोर तक ग्रामों में सम्पर्कता स्थापित करने के लिए कवर कर लिया गया है।

39. विभाग ने जानकारी दी कि भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं यानी ई-स्वास्थ्य, ई-शिक्षा, सोशल मीडिया आदि के ऑनलाइन वितरण के बढ़ते उपयोग के साथ यह उम्मीद की जाती है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले दिनों में ब्रॉडबैंड सेवाओं की मांग कई गुना बढ़ जाएगी। अब

सभी 6 लाख बसे हुए गांवों को कवर करने के लिए भारतनेट के दायरे का विस्तार किया जा रहा है।

40. समिति के यह पूछने पर कि क्या भारतनेट के संचालन और रखरखाव के लिए सीएससी के साथ कोई राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाया गया है, विभाग ने जानकारी दी कि चूकि ऑपरेशन और रखरखाव गतिविधि के लिए ओ एंड एम हेतु जिम्मेदार एजेंसी से राजस्व के लिए एक सीधा लिंक के बिना जनशक्ति संसाधनों और सामग्री के मामले में समर्थन व्यय अपेक्षित है, अत :इस गतिविधि के लिए इस तरह के रूप में अपनाया गया कोई राजस्व साझाकरण मॉडल नहीं है। इसके अलावा यह गौर किया जाना चाहिए कि सीएससी को काम सौंपने से पहले भारतनेट नेटवर्क संचालन बहुत लचर और रखरखाव बहुत खराब स्थिति में था और इतना भारी व्यय के बाद नेटवर्क का शायद ही कोई उपयोग हो। नीति आयोग ने नेटवर्क को अपग्रेड करने के बाद प्रभावी ओएंडएम और उपयोग के लिए पीपीपी मॉडल में माइग्रेट करने की भी सिफारिश की थी और जैसा कि प्री-पीपीपी मॉडल सीएससी को काम दिया गया था। वाई-फाई और एफटीटीएच कनेक्शन के माध्यम से अंतिम मील कनेक्टिविटी के साथ गलती सुधार और नेटवर्क के अपटाइम में सुधार के संदर्भ में सीएससी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। इसके परिणामस्वरूप डेढ़ वर्ष की अवधि में नेटवर्क में मामूली 50टीबी प्रति माह से 2000 टीबी तक प्रतिमाह डेटा डाउनलोड में भारी सुधार हुआ है।

41. इस पर भी विचार किया जाना है कि भारतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें सेवा प्रदान करने की लागत की तुलना में राजस्व की संभावना बहुत कम है। केवल एक प्रभावी ओएंडएम ही सेवाओं की कम लागत वाली पैकेजिंग से लंबे समय में राजस्व सुनिश्चित कर सकता है।

42. विभाग ने समिति को यह भी जानकारी दी कि बीबीएनएल द्वारा इन वाई-फाई हॉटस्पॉट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। हालांकि नीचे दिए गए उपायों की श्रृंखला के माध्यम से नेटवर्क की उपलब्धता में सुधार के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई/की जा रही है। सीएससी को एफएलएम और ओ एंड एम का काम सौंपा गया जो उपयोग के लिए भी काफी हद तक जिम्मेदार है। निविदा के माध्यम से बीबीएनएल द्वारा 500 मीटर से अधिक दोषपूर्ण फाइबर की मरम्मत। समय कम करने के लिए पर्याप्त पुर्जों की व्यवस्था करना। सीएससी-एसपीवी को ओएनटी को एक स्थान पर स्थानांतरित करने की अनुमति है, जहां बिजली, सुरक्षा और दिन-रात मैनिंग उपलब्ध है। केबल फाइबर के दोषपूर्ण फाइबर और दोषपूर्ण ओएफ केबल सेक्शन को बदलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारतनेट चरण -II में बीबीएनएल ब्लॉक से ग्राम पंचायत तक की अपनी ओएफ केबल बिछा रहा है। तेजी से और सही दोष के स्थान की पहचान के लिए सभी ग्राम पंचायतों की जीआईएस मैपिंग चल रही है।

(5) वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान (चरण-दो)

43. 23 मई 2018 को मंत्रिमंडल ने एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा चिह्नित स्थानों पर 2जी + 4जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके 4072 मोबाइल टावर स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें यूएसओएफ से 7330 करोड़ रुपये (करों को छोड़कर) की सब्सिडी दी गई। प्रस्ताव की अनुमानित परियोजना लागत 7,330 करोड़ रुपये तथा लागू कर की थी, जिसमें 4072 टावर स्थानों के लिए 5 वर्षों के लिए कैपेक्स और ओपेकक्स शामिल थे। गृह मंत्रालय ने 27 अक्टूबर, 2017 को एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 4072 स्थानों की सूची प्रदान की है। माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2019 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि एलडब्ल्यूई चरण-II के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित स्थानों पर 4जी कवरेज की स्थिति का सत्यापन किया जाए। तदनुसार,

संबंधित लाइसेंसी सेवा क्षेत्र)एलएसए (इकाइयों से 4जी कवरेज की स्थिति के बारे में जानकारी ली गई थी। एलएसए द्वारा दी गई कवरेज की स्थिति की जानकारी के अनुसार 2217 स्थानों पर कवरेज नहीं पाई गई थी। तदनुसार, 3214.65 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ 2217 स्थानों के लिए दिनांक 04.11.2019 को आरएफपी जारी गई। कार्यान्वयन एजेंसी का चयन प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा और परियोजना कार्यान्वयन की अवधि कार्यान्वयन एजेंसी के साथ ठेके के लिए किए गए हस्ताक्षर की तारीख से 18 माह की है। इस बीच 2जी + 4जी से 4जी तक तकनीक के विकल्प पर विभाग में चर्चा हुई। चूंकि चर्चाओं में समय लग रहा था, इसलिए मंगाई गई आरएफपी को तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया गया। एकल बोली प्राप्त की गई और इसे अस्वीकार कर दिया गया है। एलडब्ल्यूई-II परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के विकल्प को, दूरसंचार विभाग द्वारा यथाअनुशंसित और 01.12.2020 को डीसीसी द्वारा यथा अनुमोदित, 2जी + 4जी से 4जी प्रौद्योगिकी वाला कर दिया गया है।

44. इस बीच, गृह मंत्रालय ने ओडिशा राज्य में 325 अतिरिक्त टावर स्थानों की सूची जारी की, जिसमें उल्लेख किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कुल 483 स्थानों को मंजूरी दी गई थी। इसलिए, ओडिशा में स्थलों की कुल संशोधित संख्या 483 होगी और तदनुसार, एलडब्ल्यूड-1। परियोजना में स्थलों की कुल संख्या 2542 होगी और इसमें आरएफपी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद काम सौंपे जाने की तिथि से 18 माह का समय, विभिन्न चरणों में, लगेगा।

45. इस परियोजना में बीएसएनएल की सहभागिता की संभावना पर विभाग ने बताया कि मौजूदा आईटीआर नियमों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसी को खुली और पारदर्शी निविदा के माध्यम से नियुक्त किया जाना है। इसके अलावा बीएसएनएल के पास 4जी उपकरण और स्पेक्ट्रम की अनुपलब्धता और समय-सीमा को ध्यान में रखते हुए लिए

गए निर्णय के अनुसार बीएसएनएल को नामांकन के आधार पर कार्य प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया है। हालांकि बीएसएनएल बोली प्रक्रिया में भाग लेने के लिए स्वतंत्र है।

46. दूरसंचार विभाग के सचिव ने बैठक के दौरान बताया कि:

"एलडब्ल्यूई-दो परियोजना पहले 2जी प्लस 4जी प्रौद्योगिकी पर थी। चूंकि बाजार अब पूरी तरह से 2जी से दूर जा रहा है और ग्राहक आज डेटा चाहता है, डिजिटल संचार आयोग ने एक सचेत निर्णय लिया कि एलडब्ल्यूई-दो में 4जी होगा। इसलिए अब हम 4जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपका सवाल यह था कि इसे बीएसएनएल को क्यों नहीं दिया जाता? अभी बीएसएनएल के पास 4जी नहीं है। इसमें थोड़ा समय लगेगा। फिर, तैयार होने वाली यह परिसंपत्ति यूएसओएफ द्वारा केवल पांच वर्षों के लिए वित्तपोषित होती है। पांच साल बाद संबंधित टीएसपी को कम से कम पांच और वर्षों तक जारी रखना होता है। हम इस बात को लेकर द्विविधा में हैं कि इन क्षेत्रों में, जहां जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं हो सकता और जहां क्रय शक्ति कम है, जारी देयताओं के साथ बीएसएनएल का पर भार डालना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होगा अथवा नहीं। बीएसएनएल के पास 4जी हो जाने के बाद वे इस तरह की परियोजना शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बीएसएनएल ने भी परंपरागत रूप से कभी भी किसी निविदा में भाग नहीं लिया है।"

(6) जम्मू व कश्मीर, लद्दाख तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों के कवर न किए गए 354 क्षेत्रों में ग्रामों के लिए मोबाइल सेवाओं के प्रावधान

47. यह योजना जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, सीमावर्ती क्षेत्रों और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के कवर नहीं किए गए क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए है। टीएसपी

के साथ 28.04.2020 को समझौता किया गया है। कार्य शुरू हो चुका है और करीब 200 साइट्स का सर्वे पूरा हो चुका है। रोल आउट की अवधि समझौते की तारीख से 9 महीने है। परियोजना की अनुमानित लागत 384.01 करोड़ है। 336.89 करोड़ की परियोजना में कुल देय सब्सिडी 336.89 करोड़ है। प्रति टावर औसत लागत 0.951 करोड़ है।

48. समिति को जानकारी दी गई कि जम्मू व कश्मीर, लद्दाख, सीमांत क्षेत्रों तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्रों में कवर न किए गए क्षेत्रों के लिए मोबाइल सम्पर्कता सम्पर्कता प्रदान करने की योजना के अनुबंध को 336.89 करोड़ रुपए की लागत से दिनांक 28.4.2020 को अंतिम रूप प्रदान किया गया है तथा इस परियोजना पर कार्यान्वयन किया जा रहा है एवं जून 2021)तक पूरा होने की संभावना है।

49. समिति तो विभाग ने यह भी बताया कि मैसर्स आर-जियो इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सफल बोलीदाता है। इस परियोजना को 9महीने में पूरा करने के लिए 2020-04-28को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे कोविड- 19महामारी के कारण बढ़ाया गया है और कठिन क्षेत्रों को और 6महीने की अवधि में कवर किया जा रहा है। परियोजना अंतिम चरण में है, सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और लगभग 100 साइटें स्थापित की गई हैं और इन्हें शुरू किया जाना है। शेष स्थलों को जून 2021तक विभिन्न चरणों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

(7) आकांक्षी जिलों के लिए मोबाइल सेवाओं के प्रावधान

(i) आकांक्षी जिलों के 502 असम्मिलित गावों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान

50. उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के चार राज्यों के महत्वांकाक्षी जिलों के कवर न किए गए 502 ग्रामों में4 जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान की योजना को 686.71 करोड़ रुपए की लागत के साथ दिनांक 20.12.2019 को

अनुमोदित किया गया है। प्रस्ताव अनुरोध को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा कार्य अवार्ड जारी किया जा रहा है।

(ii) आकांक्षी जिलों के7287 असम्मिलित गावों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान

51. डीसीसी द्वारा आंध्र प्रदेश 1218) ग्राम(, छत्तीसगढ़ 699) ग्राम(, झारखंड 827) ग्राम(, महाराष्ट्र 610) ग्राम (तथा उड़ीस 3933) ग्राम (के पांच राज्यों के महत्वांकाक्षी जिलों के लिए दिनांक 11.5.2020 को4 जी आधारित मोबाइल सेवाओं हेतु कवर न किए गए 7287 ग्रामों 4779) टावरों (के लिए 6620.55 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का अनुमोदन प्रदान किया गया है। मंत्रिमंडल नोट अंतिम अनुमोदन के स्तर पर है।

52. यह पूछे जाने पर कि विभाग उपरोक्त परियोजनाओं को लागू करने की क्या योजना बना रहा है, विभाग ने बताया कि अंतिम रूप दी गई निविदा के अनुसार इच्छुक जिलों के सेवा से वंचित 502 गांवों के लिए परियोजना क्रमशः बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए मैसर्स भारती एयरटेल, मैसर्स भारती हेक्साकॉम और मैसर्स आर-जियो को सौंपी जा रही है। समय-सीमा के अनुसार परियोजना कार्य देने की तारीख से 12 महीने में पूरी हो जाएगी। अंतर-मंत्रालयी परामर्श और प्रधानमंत्री कार्यालय से जानकारी के बाद सेवा से वंचित 7287 गांवों में मोबाइल सेवा के प्रावधान के लिए मंत्रिमंडल नोट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसे ईटीजी (अधिकार प्राप्त प्रौद्योगिकी समूह) ने भी मंजूरी दे दी है। यूएसओएफ के अनुसार खुली और पारदर्शी निविदा के आधार पर कार्य देने के लिए मंत्रिमंडल नोट तैयार किया गया था, जिसमे बीएसएनएल भी भाग ले सकता है।

सात. <u>रक्षा स्पेक्ट्रम: रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क</u>

53. स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क (एनएफएस) परियोजना का कार्य रक्षा सेवाओं के लिए एक समर्पित ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क प्रदान करना है जिसे भारत

संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 60,000 कि.मी. ओएफसी बिछाई जा रही है और संचार उपस्करों की तैनाती द्वारा रक्षा सेवाओं के लिए एक सुरक्षित संचार ओएफसी आधारित नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने दिनांक 16.05.2018 को सम्पन्न हुई अपनी बैठक में नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना के लागत अनुमान में वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदित किया और अनुमोदन की तारीख से 24 माह की समय-सीमा के अंदर लागत को 13,334 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 24,664 करोड़ रुपए किया जाएगा। परियोजना को मई, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि, परियोजना की विभिन्न निविदाओं से जुड़ी जटिलताओं, रेलवे/एनएचएआई/बीआरओ/निगम निकायों/राज्य सरकारों आदि जैसे विभिन्न एजेंसियों से सैकड़ों प्रकार की अनुमति और लेह/कश्मीर/सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमित कार्य अवधि को देखते हुए, यह परिकल्पना की गई थी कि यह परियोजना दिसंबर,2020 तक पूरी हो जाएगी। मार्च, 2020 में कोविड-2019 लॉकडाउन के कारण इस परियोजना के जून, 2021 तक पूरी हाने की उम्मीद है।

54. एनएफएस परियोजना के तीन प्रमुख घटक हैं- सेना के लिए ओएफसी, नौसेना के लिए ओएफसी और सेना और नौसेना के लिए उपकरण। ओएफसी सेना हेतु कुल 57,418 कि.मी. क्षेत्र में से 55,312 कि.मी. (96 प्रतिशत) में ओएफसी बिछाई गई है और कुल 924 लिंक में से अब तक 864 लिंक (94 प्रतिशत) शुरू किए गए हैं। ओएफसी नौसेना हेतु कुल 2600 कि.मी. क्षेत्र में से 2200 कि.मी. (84 प्रतिशत) में ओएफसी डक्टिंग की गई है। उपकरणों के संबंध में, सभी घटकों के लिए क्रय आदेश जारी किए गए हैं और विभिन्न घटकों की आपूर्ति/संस्थापना/परीक्षण/कमीशनिंग (एसआईटीसी) का कार्य पूरे जोरों पर है।

55. विगत पांच वर्षों (2016-17 से 2020-21) के दौरान एनएफएस परियोजना (भौतिक संदर्भ में) का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय तथा लक्ष्यों की उपलब्धि प्रतिशत का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(सभी आंकड़े करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	भौतिक उपलब्धि
2016-17	3100	3100	3100	लगभग 68% ओएफसी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है।
2017-18	3237	3237	3237	लगभग 80% ओएफसी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। उपकरण (डीडब्ल्यूडीएम) घटक के लिए क्रय आदेश जारी किया गया था।
2018-19	5000	2500	1927	लगभग 90% ओएफसी बिछाने का कार्य पूरा हो गया है। उपकरणों (जीओएफएनएमएस, एमसीईयू, सैटेलाइट, आईपी-एमपीएलएस नेवी और माइक्रोवेव) के पांच घटकों के लिए क्रय आदेश जारी किए गए थे ।
2019-20	4725	4705	4705	ओएफसी बिछाने का लगभग 95% कार्य पूरा हो गया है। उपकरण के दूसरे अंतिम घटक (आईपी-एमपीएलएस आर्मी) और यूएनएमएस के लिए क्रय आदेश जारी किया गया था।
2020-21	5000	4000	1395 (दिनांक 31.03.2021	इस परियोजना को दिसंबर, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

			तक 5000 करोड़ रुपए की संपूर्ण आवंटित निधियों का उपयोग कर लिया जाएगा।)	तथापि, मार्च, 2020 में कोविड-2019 के लॉकडाउन के कारण इस परियोजना के जून, 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है।
2021-22	5200			इस परियोजना को जून, 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

56. विभाग ने विभिन्न निविदाओं में शामिल जटिलता, लेह, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में सीमित कार्य अवधि, एनएचएआई/बीआरओ/रेलवे/एमसी/पीडबल्यूडी/वन/वन्य जीव विभाग से सैकड़ों प्रकार की मार्गाधिकार अनुमति और मार्च, 2020 में कोविड-19 के कारण लॉकडाउन जैसे कारण बताएं। समिति ने यह भी नोट किया कि दूरसंचार विभाग और रक्षा मंत्रालय में विभिन्न स्तरों पर एनएफएस परियोजना की समीक्षा की जा रही है। सचिव (एमओडी) और सचिव (दूरसंचार) द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना की आवधिक आधार पर समीक्षा की जा रही है। दिनांक 06 अगस्त, 2020 को परियोजना की अंतिम संयुक्त समीक्षा की गई थी।

57. नागरिक उपयोग के लिए रक्षा सेवाओं द्वारा स्पेक्ट्रम जारी करने की राशि के बारे में, विभाग ने जानकारी दी है कि दूरसंचार विभाग और रक्षा मंत्रालय के बीच दिनांक 22.05.2009 को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए थे। समझौता ज्ञापन के बाद, रक्षा मंत्रालय द्वारा 1800 मेगाहर्टज और 2100 मेगाहर्टज बैंड में 45 मेगाहर्टज जारी किया गया था और इनकी नीलामी से दूरसंचार विभाग को 1,07,757 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। अन्य 15 मेगाहर्टज स्पेक्ट्रम के विनिमय से दूरसंचार विभाग को 56,190 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। जिस स्पेक्ट्रम को जारी करने की परिकल्पना रक्षा मंत्रालय द्वारा

की गई थी उसे रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी कर दिया गया है और दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी नीलामी की गई है।

आठ. दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र (टीटीएससीसी)

58. टीटीएससी का पुनर्नामकरण नेशनल सेंटर फार कम्यूनिकेशन सिक्योरिटी (एनसीसीएस) के नाम से किया गया है। यह प्रयोगशाला 15.11.2018 को प्रारंभ की गई है, तथा तब से एनसीसीएस इस परिसर में अपने क्रियाकलाप कर रही है। टीटीएससी (अब एनसीसीएस के नाम से ज्ञात) की तीन महत्वपूर्ण भूमिकाएं है- (i) सुरक्षा आश्वासन मानकों/अपेक्षाओं को तैयार करना (ii) सुरक्षा प्रयोगशाला की मान्यता और (iii) सुरक्षा प्रमाणन। सुरक्षा आश्वासन मानकों/अपेक्षाओं की पूर्ति के अंतर्गत बंगलुरू में सुरक्षा जांच प्रयोगशाला को सुरक्षा आश्वासन मानक सुविधा (एसएएसएफ) के नाम से संस्थापित किया गया है। इसे शोध कार्य एवं सुरक्षा मानक तैयार करने और संचार उपकरण के लिए सुरक्षा उपकरण फ्रेम करने के लिए चार टेस्ट बैंडों के साथ सुसज्जित किया गया है। इसकी प्रयोगशालाएं सरकारी अथवा निजी क्षेत्र में इस शर्त के साथ स्थापित की जा सकती हैं कि इसकी मान्यता एसएएसएफ द्वारा तैयार किए गए सुरक्षा मानकों/अपेक्षाओं के अनुसार किए गए मूल्यांकन के आधार पर दी गई हो। इन मान्यता प्राप्त जांच प्रयोगशालाओं की जांच के परिणामों को संबंधित दूरसंचार उपकरण के लिए सुरक्षा प्रमाण-पत्र जारी करने के संबंध में विचार किया जा सकेगा।

59. 5जी सुरक्षा परीक्षण बेड परियोजना - एनसीसीएस बंगलुरू में 5जी सुरक्षा परीक्षण बेड की स्थापना की जानी प्रस्तावित है जो 5जी सुरक्षा परीक्षण के लिए राष्ट्रीय बेड के क्रियाकलाप करके सुरक्षा मानकों (आईटीएसएआर-भारतीय दूरसंचार सुरक्षा आश्वासन मानक) एवं नीतियों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय परीक्षण बेड के रूप में कार्य करते हुए सुरक्षा परीक्षण, सत्यापन एवं सुरक्षा प्रमाणन के कार्य करेगा तथा सुरक्षा परीक्षण सुविधाओं के सृजन तथा क्षमता निर्माण में सहायता प्रदान करेगा। परियोजना प्रस्ताव और परियोजना अनुमान को स्वीकृति मिलने के पश्चात परियोजना की समयसीमा उपलब्ध हो सकेगी।

60. योजनाओं के तहत निधियों के उपयोग की विस्तृत स्थिति इस प्रकार है:-

	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**
प्रस्तावित	15	27	6.5 (संशोधित अनुमान चरण में)	10
बजट अनुमान	15	27	0.1	10
संशोधित अनुमान	15	15.6	5.39	5
वास्तविक	15	15.779	0.1	0 *
संशोधित अनुमान के संबंध में %	100%	101%	1.89%	0%

61. 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड परियोजना की स्थापना के लिए परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन और परियोजना अनुमान की वर्तमान स्थिति के बारे में, विभाग ने बताया है कि वर्ष 21-2020के दौरान विभिन्न कार्यकलाप शुरू किए गए जैसे 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड स्थापित करने के लिए परियोजना प्रस्ताव और परियोजना अनुमान तैयार किए गए। इस समय परियोजना प्रस्ताव और परियोजना अनुमान अनुमोदन एवं मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। कोविड महामारी परिस्थिति के कारण इन कार्यों में कुछ विलंब हुआ है। परियोजना के अनुमोदन/मंजूरी के बाद प्रयोगशाला स्थापित करने और निधि के उपयोग के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू की जाएगी। वर्ष 20-2019के दौरान 20जांच उपकरणों एवं मापन प्रणालियों में से नौ उपकरण खरीदे गए और शेष खरीदे जाने की कार्यवाही की जा रही है। स्टाफ का प्रशिक्षण/क्षमता निर्माण -आईआईएससी बेंगलुरू क्षमता निर्माण पर कार्य कर रहा था।

62. यह पूछे जाने पर कि परियोजना के कार्यान्वयन में किसी बड़ी बाधा का सामना करना पड़ रहा है, विभाग ने बताया कि अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण दूरसंचार

परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन के क्षेत्र में देश में विशेषज्ञता का अत्यंत अभाव है। इसका कोई तैयार सुलभ समाधान नहीं है और इसलिए इस क्षेत्र में आंतरिक क्षमताओं को विकसित करने के लिए पर्याप्त प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। यह बाधा आवश्यक परीक्षण उपकरण और माप प्रणाली की समयबद्ध खरीद और आवश्यक कार्य-बल को काम पर रखने को प्रभावित कर रही है। सुरक्षा परीक्षण के अद्यतन ज्ञान का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आईआईएससी के सहयोग से प्रशिक्षण प्रदान किए जाने अपेक्षित हैं। कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए आईआईएससी के सहयोग से व्यावसायिक जनशक्ति की सेवाएं प्राप्त करना प्रस्तावित हैं।

63. आईआईएससी की मदद से पेशेवर जनशक्ति को प्रशिक्षित करने के लिए विभाग द्वारा किए गए उपायों के बारे में विस्तार से पूछे जाने पर विभाग ने बताया है कि आईआईएससी की सहायता से सुरक्षा परीक्षण हेतु विशेष परीक्षण में भाग लेने के लिए अधिकारियों को सक्षम बनाने हेतु आधारभूत जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण आयोजित किए गए। आईआईएससी द्वारा ये विशेष प्रशिक्षण अभी आयोजित किए जाने हैं। उभरती हुई प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा परीक्षण विशेषज्ञता के तेजी से विकास हेतु अपेक्षित तकनीकी क्षमता का विकास करने के लिए केवल एक ही संस्था पर निर्भर रहना उचित नहीं होगा। इसलिए एनसीसीएस ने अन्य संस्थाओं के साथ एमओयू करने का प्रस्ताव दिया है। यह मामला विभाग में विचाराधीन है। बजट अनुमान 2021-22 में 15 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है और संशोधित अनुमान 2021-22 में अतिरिक्त राशि का अनुमान लगाया जाएगा।

नौ. <u>दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)</u>

64. इस परियोजना से दूरसंचार विभाग एवं अन्य स्टेकधारकों को दूरसंचार नेटवर्क की साइबर स्थिति पर नजर रखने तथा साइबर खतरों एवं हमलों के प्रति रियल टाइम राष्ट्रीय जोखिम सुरक्षा अवसरंचना तैयार करने की शक्ति प्राप्त हो सकेगी। इससे

कार्रवाई योग्य आसूचना तैयार करने में मदद मिल सकेगी तथा विभिन्न एजेंसियों द्वारा अपकर्षित भारतीय साइबर स्पेस को प्रतिदिन स्वच्छ किया जा सकेगा तथा साइबर स्थिति को बरकरार रखा जा सकेगा। इसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्रों को कवर किया जाएगा -किसी बड़े हमले अथवा अन्य दोषपूर्ण गतिविधियों के लिए हमला करने वालों द्वारा नियंत्रित की जा रही तथा दुरुप्रयोग की जा रही प्रणाली का पता लगाना, हमलों)द्वेषपूर्ण, डीओएस, डीडीओएस पोर्टस्कैन इत्यादि (का उनके घटित होते ही पता लगाना। अज्ञात कनेक्शनों अर्थात ऑनियन राउटर)टीओआर(, वीपीएन इत्यादि, हमलावरों तथा पीड़ितों, आईपी पते, देश, आईएसपी, अथवा संगठन की पहचान करना, सक्रिय दूषित प्रक्रियाओं /ब्लॉक की गई एप्पस की पहचान एवं विश्लेषण करना तथा ब्लॉक की गई एप्लीकेशनों /यूआरएल/आईपी के अनुपालन की जांच करना तथा सर्वरों को ब्लॉक करने से संबंधित सूचना तैयार करना।

65. निधियों के उपयोग की स्थिति निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़ में)

	2017-18	**2018-19**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
प्रस्तावित	10	15	28	119.4	127.82
बजट अनुमान	10	15	15	10	23
संशोधित अनुमान	10	15	शून्य	6.47	-
वास्तविक	12.5 (सीईआईआर योजना में से 2.5 करोड़ रुपए का पुन: विनियोजन	15	शून्य	0 (सी-डॉट को 6.47 करोड़ रुपए जारी करने के	-

	किया गया था)			लिए मामला सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है)	
संशोधित अनुमान के संबंध में प्रतिशत	125	100	लागू नहीं	-	-

66. 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के कम उपयोग के कारण पूछे जाने पर, विभाग ने बताया है कि निधि के उपयोग की प्रगति के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 20-2019के संशोधित अनुमान के चरण में समग्र आबंटन कम किए जाने के कारण संशोधित अनुमान 'शून्य' कर दिया गया है जिसके कारण वित्तीय वर्ष 20-2019 के लिए सी-डॉट को कोई धनराशि जारी नहीं की गई। वित्तीय वर्ष 21-2020 के लिए कोरोना महामारी के कारण सी-डॉट द्वारा परियोजना उपकरण से संबंधित दिए गए क्रय आदेश विक्रेताओं द्वारा प्रदायगी में असमर्थता का हवाला देते हुए रद्द कर दिए गए। कोरोना महामारी के पश्चात देश में स्थिति में सुधार आया है, क्रय आदेश फिर से जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 21-2020में संशोधित अनुमान 6.47करोड़ है और निधि जारी करने के लिए फाइल प्रस्तुत की गई है। परियोजना को अखिल भारत स्तर पर शुरू करने और सीईआरटी-टी के लिए एनओसी/एसओसी हेतु डाटा केंद्र स्थापित करने के लिए व्यय में वृद्धि की संभावना है।

67. यह देखते हुए कि विभाग ने 127.82 करोड़ रुपये की राशि का प्रस्ताव रखा है, तथापि, बजट अनुमान 2021-22 में केवल 23करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं, समिति

ने इतनी अधिक धनराशि का प्रस्ताव करने के कारणों के बारे में पूछा। विभाग ने उत्तर दिया है कि परियोजना को अखिल भारत स्तर पर शुरू करने (वित्तीय वर्ष 22-2021के लिए शुरू में 22आईएसपी गेटवे में) और सीईआरटी-टी के लिए एनओसी/एसओसी हेतु डाटा केंद्र स्थापित करने के मद्देनजर 127.82करोड़ रुपए की राशि का प्रस्ताव दिया गया है। तथापि, सिर्फ 23करोड़ रुपए आबंटित किए जा सके। कम की गई इस राशि के कारण वित्तीय वर्ष 22-2021के लिए निर्धारित लक्ष्यों/उपलब्धियों को प्राप्त करने में बहुत कठिनाई होगी और इससे परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। परियोजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि की मांग संशोधित अनुमान चरण में की जाएगी।

68. डीपीआर के अनुमोदन की वर्तमान स्थिति के बारे में विभाग ने उत्तर दिया कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन करने के लिए समिति के गठन का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है। डीपीआर को शीघ्र अंतिम रूप देने और अनुमोदन प्राप्त करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

69. बैठक के दौरान डीओटी के सचिव ने निम्नासुर बताया:

> "महोदय, टी-सीईआरटी, कुछ वर्ष पहले इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। सी-डॉट को सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चर आदि विकसित करने का काम सौंपा गया है। उन्होंने अवधारणा का प्रमाण विकसित किया है जिसे पहले से ही चार इंटरनेट गेटवे के लिए लागू किया जा रहा है, मेरे विचार से पूरे देश में लगभग 22 गेटवे हैं। इसलिए, अब हमें अवधारणा के प्रमाण से इसका विस्तार पूर्ण कार्यान्वयन चरण तक करना होगा। लेकिन वह काम अभी भी चल रहा है। इसलिए इसके लिए जो भी धन की आवश्यकता है, हमें उसे प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह एक मुद्दा है, अभी तक तो नहीं, लेकिन आरई चरण में।"

दस. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा : बीएसएनएल, एमटीएनएल और आईटीआई

70. पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के कारण मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ व्यय में बचत के कारण बीएसएनएल का व्यय 34,400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से घटकर 24,687 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (9 माह के आंकड़ों का वार्षिक मूल्य) रह गया है। तथापि, मुख्यत: 4जी सेवाओं की शुरूआत नहीं होने के कारण राजस्व में वृद्धि नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त भूमि परिसंपत्तियों का अनुमानित मुद्रीकरण नहीं हुआ। बीएसएनएल ने सूचित किया है कि इसके वित्तीय वर्ष 2023-24 के बाद लाभप्रद होने की संभावना है बशर्ते पुनरुद्धार पैकेज की प्रक्रिया के चरण में यथापरिकल्पित राजस्व की समग्र प्राप्ति और भू परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के साथ-साथ सेवाओं से नकदी प्राप्त हो। तथापि, बीएसएनएल ईबीआईटीडीए सकारात्मक हो गया है।

71. पुनरुद्धार पैकेज के भाग के रूप में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति स्कीम के कारण मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ व्यय में बचत के कारण एमटीएनएल का व्यय 5922.70 करोड़ रुपए प्रति वर्ष से घटकर 4264 करोड़ रुपए प्रति वर्ष (9 माह के आंकड़ों का वार्षिक मूल्य) रह गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की दिशा में एक कदम के रूप में और बीएसएनएल को अखिल भारत स्तर पर सेवाओं को प्रदान करने में समर्थ बनाने के लिए दिनांक 21.12.2020 की बैठक में मंत्री समूह (जीओएम) ने दिल्ली और मुंबई में बीएसएनएल के लिए 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम के आबंटन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। यह आशा की जाती है कि 4जी सेवाओं के शुरू हो जाने से वायरलेस सेगमेंट में बीएसएनएल के राजस्व में वृद्धि होगी।

72. वर्ष 2021-22 के लिए बीएसएनएल का अनुमानित राजस्व और व्यय क्रमश 20,885 करोड़ रुपये और 30,086 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 के लिए एमटीएनएल का अनुमानित राजस्व और व्यय क्रमश 2020 करोड़ रुपये और 4539.59 करोड़ रुपये है।

ग्यारह. बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना

73. बीएसएनएल के पुनरुद्धार योजना की कार्यान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पुनरुद्धार के उपाय	वर्तमान स्थिति
1	भारत सरकार के बजटीय आवंटन के माध्यम से सहायता प्रदान करने के लिए अनुदान पूर्व के भुगतान के साथ 50 वर्ष या उससे अधिक आयु के कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) की पेशकश तत्काल करके कर्मचारियों की लागत में कमी।	बीएसएनएल के 78,569 कर्मचारियों ने वीआरएस लिया। इसके कारणबीएसएनएल में वेतन व्यय 50% (लगभग 600 करोड़ रुपए प्रतिमाह)कम हो गया है ।
2	सॉवरेन गारंटी बांड्स के माध्यम से ऋण पुनर्गठन	वित्त मंत्रालय ने 8500 करोड़ रुपये की संप्रभु गारंटी प्रदान की है । बीएसएनएल ने 23.09.2020 को 8500 करोड़ रु. जुटाए हैं । बांडों के माध्यम से प्राप्त राशि का उपयोग मौजूदा उच्च लागत वाले ऋण के पुनर्गठन के लिए किया गया है।
3	4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन	बीएसएनएल ने अपने आगामी 4जी टेंडर में भाग लेने के लिए इच्छुक भारतीय कंपनियों से पूर्व पंजीकरण/ प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (पीओसी) के लिए 01.01.2021 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (इओआई) मंगाई है।
4	डीआइपीएएम के दिशानिर्देशों के	डीआईपीएएम के वैकल्पिक तंत्र ने बीएसएनएल की

	अनुसार भूमि / भवन की संपत्ति का मुद्रीकरण, और टॉवर और फाइबर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण ।	11 संपत्तियों के मुद्रीकरण को मंजूरी दे दी थी। डीआइपीएएमने अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार (आइपीसी) की नियुक्ति की। आइपीसीद्वारा प्रस्तुत व्यवहार्यता रिपोर्ट के आधार पर और मूल्यांकन के सामंजस्य के बादडीआइपीएएमके आइएमजीने विमुद्रीकरण के लिए 3 संपत्तियों (अनुमानित मूल्य 510 करोड़ रुपये) के साथ आगे बढ़ने पर सहमति व्यक्त की । बीएसएनएलने अक्टूबर 2019 से जमीन/ भवन और टॉवर/ फाइबर परिसंपत्तियों की बिक्री/ किराये के माध्यम से 657 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

.74 समिति ने वर्ष 2020-21 के दौरान बीएसएनएल/एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं करने के कारणों के बारे में पूछा । इसके उत्तर में विभाग ने बताया कि दिनांक 23-10-2019 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार की योजना को अनुमोदन दिया है। पुनरुद्धार योजना में, अन्य बातों के साथ साथ 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा पूंजीगत सहायता देने के माध्यम से बीएसएनएल /एमटीएनएल को स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन करने का अनुमोदन शामिल है। जीएसटी सहित 4जी स्पेक्ट्रम की पूर्ण लागत के लिए वर्ष 2020-21 के लिए 24,084 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया था। 20 एलएसए में बीएसएनएल को और दिल्ली और मुंबई में एमटीएनएल को 4जी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए भुगतान के लिए दूरसंचार विभाग के डब्ल्यूपीएफ स्कन्ध द्वारा डिमांड नोट जारी किए गए थे। बीएसएनएल ने 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन को तब तक स्थगित करने का अनुरोध किया जब तक कि 4जी निविदा को अंतिम रूप नहीं दिया जाता। तदनुसार, यह बजटीय आवंटन अब बजट अनुमान 2021-22 में शामिल किया गया है।

75. इस मुद्दे पर स्पष्टीकरण देते हुए दूरसंचार विभाग के सचिव ने बैठक के दौरान निम्नानुसार बताया:

"बीएसएनएल के लिए, जैसा कि आप जानते हैं, 4जी निविदा के लिए, जबकि हमने निविदा जारी की थी लेकिन हमने इसे रद्द कर दिया क्योंकि अब हम भारतीय दूरसंचार उपकरणों के लिए एक के रूप में बीएसएनएल को प्रोत्साहित करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अब नया टेंडर आ गया है। लेकिन जब तक इसे वास्तव में अंतिम रूप दिया जाएगा, हम अगले वित्तीय वर्ष में होंगे। यदि हमने अभी बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम दिया होता तो अब से 20 वर्षों तक बीएसएनएल का प्रभावी उपयोग किए बिना मीटर 20 वर्षों तक नीचे होता। इसलिए यह बीएसएनएल के हित में है कि अब हमें यह अगले साल मई, जून, जुलाई में मिल जाएगा।

.....xxx.... जब स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाता है, तो यह 20 वर्ष की अवधि के लिए होता है। इसलिए, यह बीएसएनएल और एमटीएनएल के हित में है कि 20 वर्षों की अवधि उस समय से शुरू होती है जब वे वास्तव में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। इनका टेंडर 1 जनवरी को निकाला गया है। हमें उम्मीद है कि 4जी उपकरण शीघ्र मिलेँगे। उस समय, यदि उन्हें स्पेक्ट्रम मिलता है तो वे लाभ होंगे । अन्यथा उन्हें स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना होगा और अवसर लागत अधिक होगी। सरकार के लिए यह ज्यादा मायने नहीं रखता क्योंकि स्पेक्ट्रम फंडिंग ट्रांसफर एंट्री है। हम इसे इक्विटी के रूप में दे रहे थे और स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान के रूप में धन वापस ले रहे थे। इसलिए, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह बीएसएनएल और एमटीएनएल के हित में है कि यदि उन्हें यह स्पेक्ट्रम जून-जुलाई तक मिलता है, जो उस समय के करीब है जब वे 4जी सेवाएं शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में हो सकते हैं।

....xxxx..... सरकार ने फैसला किया है कि भारत को दूरसंचार उपकरणों के वैश्विक बाजार में प्रवेश के लिए बीएसएनएल एक माध्यम होना चाहिए। इसलिए

उनका पूर्व का टेंडर निरस्त कर दिया गया। आज की तारीख में एक भी भारतीय कंपनी ऐसी नहीं है जो उन्हें 4जी के उपकरण दे सके, जिसका इस्तेमाल विशाल नेटवर्क के लिए किया जा सके । इसलिए बीएसएनएल ने यह किया है कि 1 जनवरी को उन्होंने नए सिरे से टेंडर निकाला है, जिसमें अवधारणा का प्रमाण होगा जो अनुभव का विकल्प होगा। टीसीएस, टेक महिंद्रा, स्टरलाइट और एल एंड टी जैसी अग्रणी कंपनियों ने अवधारणा प्रमाण के लिए दस्तावेज खरीदे हैं। बीएसएनएल ने प्री-बिड मीटिंग के बाद करीब 1600 प्रशन लिए थे, जिनका उत्तर जल्द ही दिया जाएगा।"

(i) <u>बीएसएनएल और एमटीएनएल की परिसंपत्ति का मुद्रीकरण</u>

76. बीएसएनएल और एमटीएनएल में मुद्रीकरण के लिए पहचान की गई भूमि/भवन की परिसंपत्ति का मूल्य क्रमशः 67837 करोड़ रुपये और 17985 करोड़ रुपये है। वर्ष 22-2021के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि/भवन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से अपेक्षित राजस्व क्रमशः 1200 करोड़ रुपए और 300 करोड़ रुपए है।

77. परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण के मुद्दे पर, सचिव, डीओटी ने बैठक के दौरान समिति को निम्नानुसार स्पष्ट किया:

"इस पिछले एक साल की अवधि के दौरान, मुद्रीकरण एक समस्या थी। मुझे नहीं पता कि बाजार में तुरंत मांग क्या होगी। जमीन की कीमतें कम हो रही हैं। किराया कम हो रहा है । रियल्टी मार्केट को भी इस दौरान काफी नुकसान हुआ है। लेकिन हमने बाजार का परीक्षण नहीं किया। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि यदि हम बाजार में गए होते तो हमें कम धन मिलता। उनके पास दो प्रकार की परिसंपत्तियां हैं; महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां और गैर- महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां। गैर- महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां भूमि पार्सल हैं। महत्वपूर्ण परिसंपत्तियां फाइबर और टॉवर है। इसलिए बीएसएनएल और एमटीएनएल अपने टावरों और फाइबर से

कमाई करने में तेजी से आगे बढ़े हैं। बीएसएनएल के पास 68,000 टावर हैं, जिनमें से 13,000 टावरों का किराया मिल रहा है। उन्हें टावरों के किराए से आय के रूप में सकल आधार पर प्रति वर्ष 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की आय मिल रही है। उन्हें फाइबर मुद्रीकरण के रूप में करीब 400 करोड़ रुपये भी मिले हैं, जहां उन्होंने डार्क फाइबर को दूसरों के इस्तेमाल की अनुमति दी है। वे अब एक बैंक को रेंटल स्ट्रीम देकर और उसके लिए अग्रिम धन लेकर अपने टावरों को प्रतिभूतिकृत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अनेक पीएसयू बैंक अब उनके साथ बातचीत के अंतिम चरण में हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि जल्द ही कुछ होना चाहिए। जहां तक उनकी गैर-कोर परिसंपत्तियों, जो कि भूमि पार्सल है, का संबंध है, उनके पास बड़ी मात्रा में भूमि बैंक है। कोविड शुरू होने के बाद और फिर वहां भी लॉकडाउन था। अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति सलाहकार, सरकार के विपरीत, जहां हम लगभग हर दिन कार्यालय में थे क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बस साइट का दौरा नहीं किया क्योंकि वे घर से काम कर रहे थे। अंतत,हमें वास्तव में उन्हें मनाना और जबरदस्ती करनी होगी और उन्हें परिवहन देना होगा ताकि वे अपनी रिपोर्ट दे सकें। मुझे लगता है कि पांच संपत्तियां नीलामी के लिए तैयार हैं। यह नीलामी डीआईपीएएम तंत्र के तहत की जा रही है। इसलिए, डीआईपीएएम और डीओटी मिलकर काम कर रहे हैं। फिर,एक सीमा निर्धारित करने का मुद्दा था जिसके आगे परिसंपत्तियां डीआईपीएएम के पास जाएंगी। मेरे विचार से यह सीमा पिछले वर्ष अक्तूबर में आई थी। यह हाल ही में आया था और यह अभी थोडा समय पहले ही आया था । इसके लिए सौ करोड़ की सीमा रखी गई है। इसलिए कोई भी परिसंपत्ति जो 100 करोड़ रुपये से अधिक की है,वह डीआईपीएएम तंत्र के पास जाएगी। 100 करोड़ रुपये से कम या तो डीओटी को जाएगी या बीएसएनएल और एमटीएनएल खुद इससे कमाई कर सकेंगे। अभी यह व्यवस्था है। यह साल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि हम अधिक संपत्तियों के मुद्रीकरण की आशा कर रहे हैं। वे किराये के लिए भी ऐसा कर रहे

हैं। किराया, जिसे आपने बहुत सही तरीके से उठाया है, काफी बढ़ गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल का इंक्रीमेंटल रेंटल फ्री-रिवाइवल पैकेज की तुलना में करीब 500 करोड़ रुपये सालाना है।"

बारह. भारतीय टेलीफोन उद्योग (आईटीआई) लिमिटेड का कार्य निष्पादन

78. विभाग ने आईटीआई के राजस्व और कार्यशील व्यय का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया:

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21 (31.12.2020 तक)	2021-22
कुल आय का लक्ष्य	2700	3300	3300	2600	3029.60
कुल आय	1812	2005	2243	1192.50	
कुल व्यय	1581	1912	2092	1382.59	2676.97
शुद्ध लाभ	231	93	151	-190.09	

79. आईटीआई उत्पादों की मांग की स्थिति और 5जीसहित देश में भविष्य के दूरसंचार उपकरणों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आइटीआई द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में विभाग ने उत्तर दिया कि पुनरूद्धार योजना के तहत भारत सरकार के सहयोग से आईटीआई ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधता लाई है। आईटीआई ने देश में स्मार्ट ऊर्जा मीटर, जीपीओएन उपकरण, स्मैश पीसी, रक्षा एन्क्रिप्शन उत्पादों, अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों आदि जैसे उत्पादों के निर्माण के लिए अपने बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण में केपेक्स निधि का उपयोग किया है जिनकी

देश में काफी मांग है। अपने बुनियादी ढांचे की स्थिति के साथआईटीआई देश में दूरसंचार उत्पादों और उपकरणों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है जैसे ओएफसी, एचडीपीई डक्ट, सोलर पैनल, वाई-फाई एक्सेस प्वाइंट विनिर्माण के साथ-साथ भारतनेट, एनएफएस और जैसे विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए एएससीओएन चरण-IV परियोजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया चल रही है। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया स्वच्छ भारत मिशन जैसी भारत सरकार कीयोजनाओं को लागू करने में आइटीआइ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आईटीआई ने स्टार्ट-अप हब, टेलीकॉम उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं, डेटा सेंटर से क्लाउड सेवाओं की स्थापना की है और 5जी तकनीक के प्रस्ताव के रूप में प्रतिभूति संचालन केंद्र (एसओसी), 4जी रेडियो विनिर्माण, एन्क्रिप्शन उत्पादों की स्थापना की योजना बनाई है।

80. पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन में प्रमुख बाधा अधिकतर ग्राहकों से आदेशों की कमी, कार्यशील पूंजी की कमी,निजी दूरसंचार विक्रेताओं से बाजार में प्रतिस्पर्धा, दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में उत्पादों के अप्रचलित होने की उच्च दर और कोविड -19 महामारी हैं।

81. समिति को यह भी सूचित किया गया है कि अब तक आईटीआई के पास5जी टेलीकॉम उपकरण बनाने की प्रौद्योगिकी नहीं है। आइटीआई ने टेक महिंद्रा, टीसीएसऔर मवेनीर जैसी 4जी प्रौद्योगिकी फर्मों के साथ साझेदारी की है। आईटीआई भविष्य में 5जी प्रौद्योगिकी वाले क्षेत्रों में इन भागीदारों के साथ काम करेगा।

(i) आईटीआई पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन

82. आईटीआई पुनरुद्धार योजना के तहत सीसीईए द्वारा 2264 करोड़ रुपये पूँजी लगाने का अनुमोदन किया गया था जिसके सापेक्ष आईटीआई को अब तक 874 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है। विभिन्न पुनरुद्धार परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 1390 करोड़ रुपये की शेष राशि की आवश्यकता है। तदनुसार ब.अ. 2021-22 में 300

करोड़ रुपये प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। पहले से आवंटित 874 करोड़ रुपये की पूंजी राशि के निवेश के साथ आईटीआई को वर्ष 2016-17 से 2020-21 (31/12/2020) के दौरान 2150.71 करोड़ रुपये के ग्राहक ऑर्डर मिल सकते हैं और आईटीआई इन आर्डरों के सापेक्ष 1151.92 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित करने में सफल रहा है।

83. वर्ष 2020-21 के दौरान आईटीआई ने बीई स्टेज में 385 करोड़ रुपये का अनुरोध किया था जिसके एवज में 105 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे। इसलिए पुनरुद्धार परियोजनाओं का कार्यान्वयन प्रभावित हुआ। वर्ष 2021-22 के लिए 300 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के विरुद्ध 80.01 करोड़ रुपये की राशि केवल बीई में आवंटित की गई है।

तेरह. टेलीमेटिक्स विकास केंद (सी-डॉट)

84. सेंटर फॉर डवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, सी-डॉट भारत सरकार के संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग में एक स्वायत्त आर एण्ड डी केन्द्र के रूप में वर्ष 1984 में स्थापित हुआ था। यह देश में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति शुरू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। सी-डॉट दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के स्वदेशी डिजायन, विकास एवं उत्पादन विशेष रूप से भारतीय परिदृश्य की अनुकूलता में अपने अथक आर एण्ड डी प्रयासों के तीन दशकों से अधिक अवधि में प्रौद्योगिकी अग्रणी रहा है और इसका भारतीय दूरसंचार नेटवर्क के डिजिटलीकरण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

85. देश में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति लाने के लिए सी-डॉट द्वारा बड़ी उपलब्धियों के संबंध में विभाग ने जवाब दिया है कि सी-डॉट ने भारत को दूरसंचार प्रौद्योगिकियों में अधिक आत्मनिर्भरता हासिल करवाने के साथ-साथ देश में दूरसंचार उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सी-डॉट एक ऐसे मॉडल पर

काम करता है जहां दूरसंचार उत्पादों/समाधान के डिजाइन, विकास, परीक्षण, सत्यापन, प्रायोगिक परीक्षण और प्रौद्योगिकी अनुमोदन (बाहरी एजेंसियों द्वारा) सी-डॉट द्वारा किया जाता है और फिर देश में दूरसंचार उपकरणों के बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकी निर्माताओं(सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्र में) को हस्तांतरित की जाती है । यह सुनिश्चित करता है कि भारत केवल दूरसंचार उपकरणों के निर्माण तक ही सीमित नहीं है बल्कि तैनात उपकरणों के बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) का भी मालिक है। किसी भी देश के लिए दूरसंचार नेटवर्क की रणनीतिक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने हितों की सुरक्षित रक्षा करने के लिए तैनात दूरसंचार उपकरणों के स्थानीय आईपीआर की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। सी-डॉट ने पिछले 10 वर्षों में 27 विनिर्माताओं के साथ 90 से अधिक प्रौद्योगिकी (टीओटी) समझौतों को अंजाम दिया है।

86. समिति ने स्वदेशी दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए नई पहलें करने और चुनौतियां लेने के लिए अपनी भूमिका के विस्तार के लिए सी-डॉट की भावी योजना के बारे में भी पूछताछ की। इस प्रश्न के उत्तर में विभाग ने कहा है कि पर्याप्त निधि की उपलब्धता की शर्त के अधीन, सी-डॉट भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्र)सीओई (की स्थापना करके अपनी भूमिका का विस्तार करना चाहेगा और इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। इन सीओई की परिकल्पना क्षेत्रों में काम करने और अवधारणाओं, एल्गोरिदम को बनाने, और प्रयोगशाला के वातावरण में नए विचारों को प्रदर्शित करने के लिए प्रोटोटाइप बनाने और बाद में भारतीय जरूरतों के लिए उपयुक्त क्षेत्र तैनाती समाधान विकसित करने के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त, ये सीओई प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण और ज्ञान का प्रसार करने में सक्षम होंगे। कुछ सुझाए गए क्षेत्र जिनमें ये उत्कृष्टता केंद्र सी-डॉट में स्थापित किए जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं: 5"जी और उससे ऊपर "प्रौद्योगिकियों के लिए सीओई, ऑप्टिकल पहुंच और परिवहन प्रौद्योगिकियों के लिए सीओई, क्वांटम संचार प्रौद्योगिकियों के लिए सीओई,

उन्नत दूरसंचार सुरक्षा, अंतरावरोधन और विश्लेषण के लिए सीओई ,आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव साइंसेज के लिए सीओई, उन्नत पैकेट प्रौद्योगिकियों के लिए सीओई।

87. ये सीओई संबंधित उपलब्धियों के अनुसार परिभाषित कार्य आउटपुट के साथ काम करेंगे। इन सीओई की स्थापना पर्याप्त निधि की उपलब्धता पर निर्भर है और ये सीओई पारंपरिक रूप से जो किया जाता है, उससे कहीं अधिक मौलिक स्तर पर आईपीआर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सी-डॉट में उपर्युक्त सीओई की स्थापना के अतिरिक्त, यह टेलीकॉम स्टार्टअप एक्सेलेरेशन एंड एकेडेमिया कोलैबोरेशन सेंटर (टीएसएएसीसी) की स्थापना करके स्टार्ट-अप को सुविधाजनक बनाने और एकेडेमिया के साथ सहयोग करने की भूमिका भी अदा कर सकता है। इसके अंतर्गत, स्टार्ट अप्स/एकेडेमिया एक विचार को एक नवाचार में बदलने के लिए सी-डॉट के साथ सहयोग करेगा।

88. विभाग ने बताया दुनिया भर में प्रमुख दूरसंचार आरएंडडी कंपनियों के बिलियन डॉलर आरएंडडी बजट की तुलना में, अपने आरएंडडी गतिविधियों को करने के लिए सी-डॉट द्वारा प्राप्त निधि की मात्रा कम है। प्राप्त निधि की राशि वेतन और अन्य कर्मचारियों के लाभों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और शायद ही कोई निधि पूंजीगत व्यय के लिए बची है।

89. विभाग ने सी डॉट के संबंध में बजट परिव्यय ,मांगे गये अनुदान, प्राप्त हुए अनुदान , उत्पन्न आईईबीआर, और व्यय निम्नवत दिया है :

(रुपए करोड़ में)

वर्ष	**बजट का परिव्यय**	**प्राप्त अनुदान**	**उत्पन्न आईईबीआर**	**स्टाफ के वेतन और लाभ पर किया गया व्यय**	**प्राप्त राशि में अनुपात में वेतन और स्टाफ लाभ का प्रतिशत**
2016-17	415.00	315.00	84.99	183.22	58.16%

2017-18	490.00	287.00	122.05	210.00	73.17%
2018-19	478.00	260.00	75.53	241.35	92.83%
2019-20	555.00	273.00	97.02	266.36	97.57%
2020-21 (दिसंबर 2020 तक)	513.00	168.12	65.55	176.63	105.06%

90. हालांकि अनुदान के रूप में प्राप्त राशि में कोई वृद्धि नहीं हुई है, तथापि, 7 वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण वेतन व्यय बढ़ गया है। सी-डॉट ने दूरसंचार क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान और विकास के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सीओई स्थापित करने का प्रस्ताव किया है)डिजाइन से लेकर - आईपीआर सृजन, बड़े पैमाने पर विनिर्माण तक(, लेकिन इसके लिए सी-डॉट को मिलने वाली निधि की मात्रा को वर्तमान स्तर)लगभग 300करोड़ रुपये (से बढ़ाकर लगभग 2000करोड़ रुपए प्रति वर्ष करने की आवश्यकता होगी। 2000करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग की कुल कमाई का सिर्फ %5है जो लगभग 40000करोड़ रु .प्रति वर्ष है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि सी-डॉट तकनीकी ज्ञान का पूरी तरह से लाभ उठाने में सक्षम है, यह देश के दूरसंचार आर एंड डी आधार को मजबूत करेगा जिससे दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण में अधिक आत्म-निर्भरता आएगी।

91. दूरसंचार उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए वित्त पोषण के साथ साथ निम्नलिखित अतिरिक्त उपायकरने का सुझाव दिया गया है:

I. सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेश कि दूरसंचार उपकरणों की सार्वजनिक खरीद में, सी-डॉट डिज़ाइन किए गए उपकरण (यदि तकनीकी रूप से अनुरूप हों) में कुछ कोटा होगा तो एल1 कीमत पर

आपूर्ति की जाएगी। यह सी-डॉट द्वारा डिज़ाइन किए गए उपकरणों के प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है और निविदा एजेंसी के पूंजीगत व्यय को प्रभावित किए बिना दूरसंचार उपकरण विनिर्माण आधार में तेजी ला सकता है।

II. चूंकि सी-डॉट ने पहले ही भारतनेट जैसे प्रतिष्ठित सरकारी कार्यक्रमों और कंपनियों के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के लिए पूर्ण समाधान विकसित कर लिया है, इसलिए इसे सीधे सी-डॉट के टीओटी भागीदारों से प्राप्त किया जा सकता है और नेटवर्क में तैनात किया जा सकता है।

III. दूरसंचार सेवा प्रदाताओं/इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को स्वदेशी रूप से विकसित समाधानों के लिए सी-डॉट को शैक्षिक आदेश देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कुछ प्रोत्साहन दिए जा सकते हैं। यह प्रोत्साहन लाइसेंस शुल्क रियायतों के रूप में हो सकता है या कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) वित्तपोषण के भाग के रूप में आदेश देने की मंजूरी के रूप में हो सकता है। इससे सार्वजनिक के साथ-साथ निजी टीएसपी/आईएसपी में सी-डॉट में विकसित समाधानों (सोल्यूशन्स) की बड़े पैमाने पर तैनाती की सुविधा मिलेगी, जो बाद में देश में बड़े पैमाने पर विनिर्माण को बढ़ावा दे सकते हैं।

भाग- दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

<u>दूरसंचार विभाग (डीओटी) बजट</u>

1. दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2021-22) को कुल राशि 7293 करोड़ रुपये के साथ 10 फरवरी, 2021 को रखा, जिसमें राजस्व खंड के तहत और पूंजी खंड के तहत क्रमशः. 41803.44 करोड़ रुपये और 31135.56 करोड़ रुपये है। यह राशि पिछले वर्ष की मांगों की तुलना में 6494.69 करोड़ रुपये कम है। 2020-21 के दौरान व्यय के संबंध में, समिति ने नोट किया कि राजस्व खण्ड के तहत बीई पर राशि को कम कर 48756.63 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई थी, जो आरई चरण में 43948.88 करोड़ रुपये थी और जनवरी, 2021 तक वास्तविक व्यय 7649.53 करोड़ रुपये हो गया है। समिति ने आगे नोट किया कि बीई चरण के लिए आवंटित धन को आरई चरण पर यूएसओएफ, स्वच्छता कार्य योजना हेतु विशेष सहायता (एसएपी), आईटीआई बेंगलुरु, प्रशिक्षण एनआईसीएफ, आईटीएस/ बीडब्ल्यूएस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण, चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना, 4जी स्पेक्ट्रम पर जीएसटी प्रदान करना, बीएसएनएल और एमटीएनएल से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों हेतु इंक्रीमेंटल पेंशन इत्यादि जैसी मदों के अंतर्गत कम कर दिया गया। समिति यह मानती है कि धनराशि को वास्तविक व्यय की प्रवृत्ति को देखते हुए आरई पर कम कर दिया गया है, जो कोविड -19 महामारी से उत्पन्न स्थिति के कारण अपेक्षित नहीं था। समिति यह भी मानती है कि महामारी की स्थिति से उत्पन्न सितंबर 2020 तक के कुल खर्च में कैप के कारण, जनवरी 2021 तक का व्यय 37649.63 करोड़ रुपये रहा है। विशेष रूप से यूएसओएफ जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए शेष राशि का उपयोग इस वित्तीय वर्ष के अंत तक किया जाएगा।

पूंजी खंड के तहत, बीई स्तर पर 30675.06 करोड़ रु की राशि आवंटित की गई थी, जो कि आरई स्तर पर घटाकर 8359.92 करोड़ रु हो गई और जनवरी, 2021 तक का वास्तविक व्यय 5689.53 करोड़ रु हो गया है। 2020-21 के दौरान आरई स्तर पर किए गए आवंटन में कमी का मुख्य कारण, वित्त मंत्रालय द्वारा 20,410 करोड़ रुपये के बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश के लिए निधि की वापसी थी। जहां तक, अन्य योजनाओं में धन के उपयोग का संबंध है, समिति नोट करती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश, मेजर वर्क बिल्डिंग, डब्ल्यूपीसी, ट्राई बिल्डिंग, टेलीकॉम टोस्टिंग और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन सेंटर, टेलीकॉम कम्पूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्टिफिकेट), सेंट्रल इक्विप्मेंट आइडेंटिटी रेजिस्टर (सीईआईआर) जैसी अन्य स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग शून्य रहा है। विभाग को आशा है कि एनएफएस (रक्षा सेवाओं हेतु को एफसी आधारित नेटवर्क), ट्राई और अन्य योजनाओं के लिए आवंटित पूर्ण राशि को वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति तक पूर्णतः उपयोग कर लिया जाएगा ।

यद्यपि समिति यह समझती है कि कोविड-19 महामारी के कारण कई शीर्षों के तहत धन के उपयोग में कमी आई है, वे इस बात को जानकर क्षुब्ध हैं कि 4जी स्पेक्ट्रम के लिए बीएसएनएल और एमटीएनएल में पूंजी निवेश हेतु पूंजी खंड के अंतर्गत आवंटित 20,410 करोड़ रुपये की राशि को वित्त मंत्रालय ने निविदा प्रक्रिया में विलम्ब के कारण वापस ले लिया है। समिति का मानना है कि इस शीर्ष के तहत अल्प व्यय से बचा जा सकता था यदि विभाग ने उपयुक्त उपाय कर निविदा प्रक्रिया को फास्ट ट्रैक किया होता। यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कर दिया गया है। समिति विभाग की निविदा प्रक्रिया में असफल होने पर निराशा जाहिर करती है और चाहती है कि चालू वर्ष में सक्रिय कदम उठाए जाएं ताकि संशोधित चरण में धनराशि में कटौती न हो। समिति सिफारिश करती है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर (सीईआईआर) और टेलीकॉम कंप्यूटर इमरजेंसी

रिस्पांस टीम (टी-सर्टिफिकेट) से संबंधित सीडॉट को निधि जारी करने के लिए उपयुक्त उपाय किए जाएं। समिति आशा करती है कि विशेषकर पूंजी खंड के तहत 2021-22 के दौरान निधियों के उपयोग में सुधार होगा और और इस हेतु पूर्ण प्रयास किए जाएंगे कि 2021-22 के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए 4जी स्पेक्ट्रम के लिए पूंजी निवेश, मेजर वर्क बिल्डिंग, डब्ल्यूपीसी, ट्राई बिल्डिंग, टेलीकॉम टेस्टिंग और सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन सेंटर, टेलीकॉम कम्प्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (टी-सर्टिफिकेट), सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर (सीईआईआर) जैसी अन्य स्कीमों के लिए निधियों का उपयोग शून्य न रहे। समिति ने आगे सिफारिश की कि निधियों की उपयोगिता और योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर वित्त मंत्रालय से आरई चरण पर अधिक आवंटन हेतु अनुरोध किया जाए ताकि विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन पर्याप्त बजटीय आवंटन की अनुपलब्धता के कारण प्रभावित ना हो।

<u>आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधन (आईईबीआर)</u>

2. समिति नोट करती है कि आईईबीआर लाभ, ऋण और इक्विटी के माध्यम से सरकारी क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) द्वारा सृजित संसाधनों युक्त है। दूरसंचार विभाग में छह पीएसयू/ संगठन हैं, जिनके माध्यम से आईईबीआर का सृजन होता है, नामतः बीएसएनएल ,एमटीएनएल ,टीसीआईएल आईटीआई लिमिटेड ,बीबीएनएल और सी-डॉट हैं। विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, समिति का मानना है कि 2017-18 से आईईबीआर की वास्तविक उपलब्धि में गिरावट आई है। 2017-18 के दौरान आरई के संदर्भ में आईईबीआर की उपलब्धि 90.09 प्रतिशत थी, यह 2018-19 के दौरान घटकर 63.69 प्रतिशत हो गई, जोकि 2019-20 में घटकर 53.16 प्रतिशत हो गया। 2020-21 के दौरान, बीई पर निर्धारित आईईबीआर लक्ष्य.14187.28 करोड़ रु था, जो आरई में घटाकर 13370.22 करोड़ रु हो गया था और वास्तविक उपलब्धि केवल 5490.67 करोड़ रु थी जो आरई के संबंध में केवल 41.06 प्रतिशत थी। पुराने अनुभव के आधार पर समिति का मानना है कि 2020-21 के दौरान पीएसयू / संगठनों के

आईईबीआर प्रदर्शन में सुधार की संभावना नहीं है। वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग ने बीई 2021-22 पर 12244.28 करोड़ रुपये का आईईबीआर लक्ष्य निर्धारित किया है। समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, टीसीआईएल, आईटीआई लिमिटेड, बीबीएनएल और सी-डीओटी अपने आईईबीआर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे, बशर्ते कि उनके प्रत्याशित राजस्व / नकदी प्रवाह या बैंक ऋण लक्ष्यों में कोई बड़ी कमी न हो।

समिति का विचार है कि आईईबीआर लक्ष्य में कमी से कम पूंजी निवेश होता है। यह विचार करते हुए कि 2017-18 के बाद से आईईबीआर लक्ष्य लगातार कम हो रहा है, 2021-22 के दौरान इस तरह के विशाल आईईबीआर लक्ष्य को बनाए रखना समिति को अवास्तविक प्रतीत होता है बशर्ते कि उनके पास कुछ विशिष्ट योजना / रोड मैप हो। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, समिति को लगता है कि इन सार्वजनिक उपक्रमों / संगठनों को सरकार द्वारा सकारात्मक नीति समर्थन देने की आवश्यकता है ताकि उन्हें बेहतर वित्तीय स्थिति में लाया जा सके। विभाग को इन सार्वजनिक उपक्रमों और संगठनों की राजस्व अर्जन क्षमता की समीक्षा और पहचान समय-समय पर करने की आवश्यकता है, और उन्हें आवश्यक समर्थन दे ताकि उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार हो और वे देयता बनने के बजाय विभाग के बजटीय संसाधनों में योगदान दें। समिति की यह भी इच्छा है कि विभाग आईईबीआर लक्ष्य तय करते समय अधिक यथार्थवादी हो।

<u>यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ)</u>

3. समिति ने नोट किया कि बीई 2020-21 में भारतनेट के लिए 6000 करोड़ रुपये और अन्य यूएसओएफ योजनाओं के लिए 2000 करोड़ रुपये सहित कुल आवंटन राशि 8000 करोड़ ▯ थी, जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा घटाकर 7200 करोड़ ▯ और 31.12.2020 को वास्तविक उपयोग केवल 5409.08 करोड़ ▯ हुआ है। समिति को सूचित किया गया है कि यूएसओएफ योजनाओं के लिए धन की कोई समस्या नहीं है।

जब भी योजनाएं प्रारंभ होंगी तो सरकार यूएसओ फंड की योजनाओं के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। यद्यपि, समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रस्तावित राशि 3250 करोड़ रु की तुलना में केवल 9000 करोड़ रु की राशि बीई 2021-22 में आवंटित की गई है। 2021-22 के दौरान, विभाग ने भारतनेट, वामपंथी अतिवाद क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान (चरण-दो), जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख सहित 354 में गांवों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान, द्वीपों के लिए दूरसंचार विकास योजना और एनईआर के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना जैसी योजनाओं को व्यापक प्राथमिकता दी है। समिति ने यह भी नोट किया कि 31.12.2020 तक, यूएसओ के तहत संभावित निधि के रूप में उपलब्ध यूनिवर्सल एक्सेस लेवी (यूएएल) राशि का शेष 5,2,216.94 करोड़ रु है। प्रारंभ में, यूएसओएफ फोकस कम पूंजीगत व्यय की आवश्यकता वाली सेवा प्रावधान परियोजनाओं पर केंद्रित था। अब, फोकस पूंजी गहन और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में स्थानांतरित हो गया है। समिति को यह भी बताया गया है कि विभाग को यूनिवर्सल सर्विस लेवी (यूएसएल) की दर में संशोधन के लिए टीएसपी / उद्योग निकाय से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो वर्तमान में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का 5 प्रतिशत है। तथापि, यह तय किया गया है कि दर को कम नहीं किया जाए क्योंकि यह यूएसओएफ के पास उपलब्ध संसाधन को समाप्त कर देगा। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि संभावित निधि के रूप में उपलब्ध शेष राशि अपनी योजनाओं के लिए यूएसओएफ की प्रतिबद्धताओं को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

समिति नोट करती है कि विभाग यूएसओएफ के तहत कई पूंजी गहन और बुनियादी ढांचे जैसे भारतनेट, एलडब्ल्यूई चरण-दो, एनईआर और द्वीप समूह के लिए व्यापक दूरसंचार विकास योजना, आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं के लिए प्रावधान आदि को लागू कर रहा है। यह राष्ट्र के हित में है कि इन योजनाओं को प्रभावी ढंग से समयबद्ध तरीके से लागू किया जाता है। समिति की यह भी तीव्र इच्छा है कि इन योजनाओं के महत्व को देखते हुए यूएसओएफ योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए

अपेक्षित धन आवंटित करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए और यह भी ध्यान में रखते हुए कि भारत की समेकित निधि में पर्याप्त यूएएल शेष उपलब्ध है। समिति को सूचित किया गया है कि जहां तक यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन का संबंध है, पैसे की कमी नहीं है और उन्होंने जो भी पैसा मांगा गया है वह उन्हें मिल गया है। लेकिन यह इस तथ्य से प्रतीत नहीं होता है जब कोई यूएसओएफ योजनाओं के लिए वर्ष 2021-22 के लिए बजटीय आवंटन को देखता है, जिसमें 1,3250 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि की तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा केवल 9000 करोड रुपए की राशि आवंटित की गई है। विभाग द्वारा प्रस्तावित की तुलना में आवंटित राशि 4250 करोड़ रु कम है। विभाग या तो यूएसओएफ के तहत फंड आवश्यकताओं के लिए वित्त मंत्रालय को समझाने में विफल रहा है या एमओएफ जानबूझकर स्कीमों को न लेने के कारण यूएसओएफ के तहत निधियों को कम रहा है। समिति इस पर गंभीरता से ध्यान देती है और वित्त मंत्रालय द्वारा यूएसओएफ के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए अपेक्षित धनराशि उपलब्ध कराने के लिए विभाग को अनुशंसा करती है। समिति को उम्मीद है कि फंड आवंटन में सुधार होगा और आरई स्तर पर पर्याप्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा। समिति इस बात को गंभीरता से लेती है और यह सिफारिश करती है कि विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा यूएसओएफ के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु अपेक्षित निधि को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समिति आशा करती है कि विभिन्न योजनाओं की आवश्यक स्वीकृति विभाग द्वारा अग्रिम रूप से ली जानी चाहिए ताकि बीई चरण में ही निधि आवंटन में निश्चितता हो और योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी न हो।

<u>यूएसओएफ से निधियों का पुन: विनियोजन</u>

4. समिति नोट करती है कि वित्त मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित आबंटन के रूप में 3000 करोड़ रुपयेप्राप्त हुए हैं जिनमे भारतनेट के लिए 2000 करोड़ रु. और अन्य यूएसओएफ स्कीमों के लिए 1000 करोड़ रुपये शामिल हैं, जिसमें से 74 करोड़ रुपये दूरसंचार विभाग के अनुरोध के अनुसार दूरसंचार विभाग

का पुन: विनियोजन किया गया है। जब यूएसओएफ से निधियों के पुन: विनियोजन के कारण पूछे गये तो समिति को बताया गया है कि राजस्व खंड में कई शीर्षों के तहत अतिरिक्त धन की तत्काल आवश्यकता थी जिसके कारण 74 करोड़ रुपये की राशि का पुन: विनियोजन किया गया। विभाग ने समिति को आगे बताया है कि यूएसओएफ के संभावित संतुलन को इस पुन: विनियोजन से समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि शेष राशि यूएसओएल की कुल यूएसएल (यूनिवर्सल सर्विस लेवी) संग्रह से यूएसओएफ योजनाओं पर खर्च की गई कटौती द्वारा प्राप्त की गई है। यूएसओएफ में उपलब्ध निधि का उपयोग केवल यूएसओएफ के घोषित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विभाग ने समिति को यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसा वित्त मंत्रालय की अनुमति से किया गया है।

समिति का विचार है कि यू एस ओ एफ धन का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क प्रदान करने के विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जा सकता है इसलिए राजस्व खंड के अंतर्गत अनेक शीर्षो के अधीन अतिरिक्त निधियों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधियों का ऐसा पुनः विनियोजन वांछनीय प्रवृत्ति है जिस से बचा जाना चाहिए। समिति का विचार है कि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए निधि को यूएसओएफ से पुनः नियोजित करने की बजाय वित्त मंत्रालय से आवश्यक निधि आवंटित करने के लिए आग्रह किया जाना चाहिए क्योंकि यूएसओएफ से पुनः विनियोजन से वह उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है जिसके लिए इस कायिक निधि का गठन किया गया था चूँकि यूएसओएफ विशिष्ट और लक्षित उद्देश्य के लिए है, समिति इच्छा व्यक्त करती है कि यूएसओ एफ के लिए निधियों का ऐसा पुनः विनियोजन भविष्य में न किया जाए ।सरकार को इस शेष राशि, जो गरीबों के लिए है, का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार संपर्क प्रदान करने के बजाय राजकोषीय कमियों को पाटने के लिए नहीं करना चाहिए।

<u>भारतनेट के कार्यान्वयन में प्रगति</u>

5. समिति नोट करती है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अनुसार भारतनेट को पूरा करने का लक्ष्य अर्थात सभी 2,50,000 ग्राम पंचायतों को जोडने की माय सीमा मार्च

2019 की थी। तथापि चूंकि यह देश में फैली व्यापक प्रकृति की मेगा परियोजना है, अत: मार्च 2019 तक मात्र 1.18 लाख ग्राम पंचायतों को जोड़ा जा सका था। भारतनेट परियोजना को अगस्त 2021 तक पूरा किये जाने की परिकल्पना थीं तथापि यह समय सीमा अब कोविड-19 के कारण विभिन्न सरकारों द्वारा लॉकडाउन एवं आवाजाही में लगाए गए प्रतिबंधों के विचार से विस्तारित की जानी है। निधियों के उपयोग की स्थिति के संबंध में समिति नोट करती है कि बजट अनुमान 2020- 21 में 6000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी जिसे संशोधित अनुमान स्तर पर घटाकर 5500 करोड़ रुपए कर दिया गया था और 31.12.2020 की स्थिति के अनुसार वास्तविक उपयोग 4341.85 रुपये रहा है ।समिति नोट करती है कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारतनेट चरण-II के कार्यान्वयन की गति लक्ष्य की तुलना में धीमी थी। चरण-II का कार्य मुख्यत: 8 राज्यों (राज्य आधारित मॉडल पर लगभग 65000 ग्राम पंचायतें) तथा बीएसएनएल (सीपीएसयू आधारित मॉडल में 23000 ग्राम पंचायतें) पर निर्भर था। बीएसएनएल अपने आंतरिक मामलों एवं वित्त के कारण क्षमता संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था। इसके अलावा राज्य आधारित मॉडल के अंतर्गत छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगानाएवं उड़ीसा राज्य कहीं अधिक धीमा कार्य कर रहे थे। तमिलनाडु में कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया की जा रही है। पीपीपी मॉडल को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में विभाग ने सूचित किया है कि भारतनेट में पीपीपी मॉडल के लिए दूरसंचार विभाग में स्वीकृति प्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है। यूएसओएफ/दूरसंचार विभाग द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कैबिनेट नोट बनाया जा रहा है

समिति नोट करती है कि विभाग अभी भी इन राज्यों में क्रियान्वयन की रणनीति से जूझ रहा है। समिति का मानना है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों में कार्यान्वयन की भारी क्षमता है और एक बार कार्यान्वयन की रणनीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद वे जल्द से जल्द काम पूरा करने में सक्षम होंगे। चूंकि परियोजना को पूरा करने में काफी विलंब हुआ है, इसलिए समिति की इच्छा है कि विभाग द्वारा इस मामले को उच्च स्तर पर संबंधित राज्यों के साथ उठाया जाए।

वित्तीय मामलों के कारण क्षमता की कमी से जूझ रहा है, इसलिए समिति का विचार है कि विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न अन्य तरीके और साधन तलाशने चाहिए किसी पीएसयूएलईडी मॉडल के तहत 23000 जीपीएस में कार्य का कार्यान्वयन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जाए और बीएसएनएल की क्षमता संबंधी कमियों को परियोजना को समय पर पूरा करने में अवरोध नहीं बनने देना चाहिए, भले ही तेजी से और समय पर निष्पादन के लिए बीएसएनएल को जरूरी सहायता प्रदान करने की आवश्यकता पड़े ।समिति को विभिन्न राज्यों में परियोजना की प्रगति के बारे में सूचित किया जाये ।

<u>भारतनेट के अंतर्गत सृजित अवसंरचना का उपयोग</u>

6. समिति नोट करती है कि 31 दिसंबर 2020 तक भारत नेट के कार्यान्वयन के लिए 25101.25 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था।3497 ब्लॉक मुख्यालयों सहित 1,51,404 ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार कर दिया गया है और 1,04,026 ग्राम पंचायतों को वाई-फाई हॉटस्पॉट, 4,84,506 ग्राम पंचायतों को एफटीटीएच कनेक्शन प्रदान किए गए, 18,039 किलोमीटर के लिए फाइबर पट्टे पर देने का काम किया गया है, आदि। समिति को यह नोट करके प्रसन्नता हुई है कि भारतनेट का उपयोग विशेषत: वाईफाई हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या में पिछले वर्ष की अपेक्षा अत्यधिक सुधार हुआ है । समिति नोट करती है कि देश में सभी ग्राम पंचायतों (लगभग 2.5 लाख) को ब्रॉडबैंड संपर्क प्रदान करने के लिए भारत नेट का कार्यान्वयन किया जा रहा है और सभी लगभग 6लाख ग्रामों को कवर करने के लिए दायरे को बढ़ाया गया है। समिति को बताया गया है कि जैसा कि 18-09-2020 को डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है, पीपीपी-एसी जो कि वित्त मंत्रालय में एक विशेषज्ञ निकाय हैसे 16 राज्यों में लगभग 3.5 लाख गांवों को कवर करने के लिए पीपीपी मॉडल के लिए से अनुमोदन प्राप्त किया गया है और विभाग इसे बहुत जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। समिति को यह भी सूचित किया गया है कि भरतनेट ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी प्रदान करता है जिसमें

सेवा प्रदान करने की लागत की तुलना में राजस्व की बहुत कम संभावना है। सेवाओं की कम लागत वाली पैकेजिंग के साथ केवल एक प्रभावी ओ एंड एम ही लंबे समय तक राजस्व सुनिश्चित कर सकता है। विभाग ने समिति को यह भी बताया है कि इन वाई-फाई हॉटस्पॉट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए बीबीएनएल द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

समिति का मानना है कि इतने बड़े बुनियादी ढांचे के निर्माण के बाद इसका इष्टतम उपयोग विभाग के लिए अगली बड़ी चुनौती है। बनाए गए नेटवर्क के इष्टतम उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत है। इस संबंध में, समिति सिफारिश करती है कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा निर्माण, उन्नयन, ओएंडएम और भारतनेट के उपयोग के लिए सिफारिश के अनुसार पीपीपी मॉडल को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। बनाए गए नेटवर्क बुनियादी ढांचे के ओ एंड एम पर भी जोर दिया जाना चाहिए ताकि भारतनेट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की विभिन्न हितधारकों द्वारा सबसे अधिक मांग की जाए। समिति की सिफारिश है कि विभाग द्वारा एक उचित तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन वाई-फाई हॉटस्पॉट के कामकाज से संबंधित सभी शिकायतों पर पर्याप्त रूप से विचार और उनका समाधान किया जा सके ताकि ग्राहकों को अधिकतम संतुष्टि मिल सके। संबंधित कार्यान्वयन अभिकरण प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता और विभाग को दी गई प्रतिक्रिया का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण कर सकती है। समिति की यह भी इच्छा है कि नेटवर्क के उपयोग में वृद्धि से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिल सके ताकि उनकी आय सृजन को बढ़ाया जा सके।

<u>वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों (चरण-II) में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान</u>

7. समिति नोट करती है कि दिनांक 23 मई 2018 को मंत्रिमंडल ने यूएसओएफ द्वारा 7330 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई)

क्षेत्रों में गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा चिन्हित किए गए स्थानों पर 2जी+4जी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए 4072 मोबाइल टावरों को संस्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। दिनांक 26.8.2019 को माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें गृह मंत्रालय द्वारा चरण-II के लिए चिन्हित स्थलों पर 4जी कवरेज का सत्यापन करने का निर्णय लिया गया था। एलएसए द्वारा बतायी गयी कवरेज स्थिति के अनुसार , 2217 स्थान कवर नही हुए थे ।कार्यान्वयन अभिकरण का चयन खुली प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना था और परियोजना की कार्यान्वयन अवधि कार्यान्वयन अभिकरण के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 18 महीने थी । हालांकि, आरएफपी को तकनीक के चयन पर विचार-विमर्श और आरएफपी के खिलाफ प्राप्त एकल बोली के कारण रद्द करना पड़ा । ओडिशा में 325 अतिरिक्त टावर स्थानों को जोड़ने के बाद 2542 स्थलों के लिए 01.12.2020 को डीसीसी के अनुमोदन के अनुसार एलडब्ल्यूई-II परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी के विकल्प को अब 2जी +4जी से संशोधित करके 4जी किया गया है। इस परियोजना को नामांकन के आधार पर बीएसएनएल को प्रदान करने के मुद्दे पर समिति को सूचित किया गया है कि बीएसएनएल के पास अभी कोई 4जी स्पेक्ट्रम नहीं है और यह जो परिसंपत्ति बनाई गई है वह केवल पांच वर्षों के लिए यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित है। पांच साल बाद संबंधित टीएसपी को कम से कम पांच साल तक जारी रखना होता है। विभाइस बारे में आश्वस्त नहीं है कि इन क्षेत्रों में जहां जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं हो सकता है और क्रय शक्ति कम है, बीएसएनएल को सततदायित्वों के बोझ से लादे रखना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य होगा या नहीं। बीएसएनएल के पास 4जी हो जाने के बाद वे इस तरह की परियोजना शुरू करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे। बीएसएनएल ने परंपरागत रूप से कभी किसी टेंडर में भाग भी नहीं लिया है।

समिति नोट करती है कि बीएसएनएल द्वारा एलडब्ल्यूई फेज-1 परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया था। इस वजह से इन इलाकों में रहने वाले लोगों की अब दूरसंचार सम्पर्क तक पहुँच है। एलडब्ल्यूई फेज-1 परियोजना को कार्यान्वित

करने में बीएसएनएल द्वारा प्राप्त उपलब्धि इस बात का संकेत है कि बीएसएनएल ऐसी चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं को लागू करने में सक्षम है। समिति ने अपनी छठी और उन्नीसवीं रिपोर्ट (17वीं लोकसभा) में सिफारिश की थी कि बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन सहित बीएसएनएल की पुनरुद्धार योजना जारी होने के मद्देनजर बीएसएनएल को नामांकन के आधार पर यह परियोजना प्रदान की जाए। जरूरत पड़ने पर सार्वभौमिक गारंटी का मामला भी वित्त मंत्रालय के समक्ष उठाया जा सकता है। समिति नोट करती है कि विभाग ने समिति की सिफारिश को वांछित गंभीरता से नहीं लिया है क्योंकि परियोजना के लिए क्रियान्वयन अभिकरण का चयन खुली निविदा के माध्यम से होने जा रहा है। समिति विभाग के इस निवेदन से सहमत नहीं है कि जनसंख्या घनत्व और क्रय शक्ति कम होने के कारण ये क्षेत्र व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं होंगे और बीएसएनएल को सततदायित्वों के बोझ से लादे रखना नहीं चाहते। चूँकि विभाग स्वयम इस मामले में आश्वस्त नहीं है तो विभाग को कम से कम, बीएसएनएलद्वारा एलडब्ल्यूई फेज-2 परियोजना शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए थाइन क्षेत्रों में सरकार की निरंतर सहायता की आवश्यकता है और मुख्यधारा के साथ अधिक एकीकरण प्राप्त करने के लिए व्यवहार्य दूरसंचार संपर्क प्रदान करना सरकार की अत्यंत चिंता का विषय होना चाहिए, कम जनसंख्या घनत्व और क्रय शक्ति जैसे कारकों के कारण वाणिज्यिक विचार चिंतन का विषय नहीं होना चाहिए। समिति विभाग से अनुरोध करती है कि खुली निविदा द्वारा आगे बढ़ने से पहले बीएसएनल के माध्यम से परियोजना के कार्यान्वयन की व्यवहार्यता पर विचार करें। समिति सिफारिश करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े उपाय करें कि एलडब्ल्यूई-चरण दो आगे किसी और बाधा के बिना कार्यान्वित किया जाए समिति इच्छा व्यक्त करती है कि इस सिफारिश के संबंध में विशिष्ट और सटीक उत्तर दिया जाए।

<u>आंकाक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान</u>

8. समिति नोट करती है कि आकांक्षी जिलों में मोबाइल सेवाओं का प्रावधान यूएसओएफ योजनाओं में से एक ऐसी योजना है जिसे 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा

प्राथमिकता दी गई थी। इसके अंतर्गत चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आकांक्षी जिलों के 50 अ-सम्मिलित गांवों में 4जी आधारित सेवा के प्रावधान हेतु योजना को 686.71 करोड़ रुपए की लागत के साथ 20.12.2019 को स्वीकृति दी गई थी। आरएफपी को अंतिम रूप दिया जा चुका है और यह कार्य किसी को सौंपा जाना है। अन्य योजना-पांच राज्यों-आंध्र प्रदेश (1218 गांव), छत्तीसगढ़ (699 गांव), झारखंड (827 गांव), महाराष्ट्र (610 गांव) और ओडिशा (3933 गांव) के आकांक्षी जिलों में 7287 असम्मिलित गांवों के लिए 6620.55 करोड़ रुपए की लागत से 4जी आधारित मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिए 7287 असम्मिलित गांवों को 11.05.2020 को डीसीसी द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अंतिम स्वीकृति हेतु कैबिनेट नोट की प्रक्रिया चल रही है।

समिति यह नोट करके अप्रसन्न है कि भारत में हो रही दूरसंचार क्रांति और विभाग द्वारा यूएसओएफ योजनाओं के कार्यान्यन के बीच देश के आकांक्षी जिलों में अभी भी बड़ी संख्या में असम्मिलित गांव हैं। यह देश में दूरसंचार क्षेत्र की सफलता की कहानी कर धब्बा है। समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि 502 असम्मिलित गांवों में मोबाइल सेवाओं का कार्य यथाशीघ्र सौंपा जाना चाहिए। 7287 असम्मिलित गांवों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान हेतु अंतिम स्वीकृति के लिए विचाराधीन कैबिनेट नोट को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समिति चाहती है कि विभाग इस कार्य की तात्कालिकता को समझकर इसे विशिष्ट समय-सीमा के भीतर पूरा करे। समिति यह भी सिफारिश करती है कि विभाग अन्य आकांक्षी जिलों में असम्मिलित जिलों की पहचान करे और अंतर को पाटने के लिए चालू योजनाओं के दायरे में लाने के प्रयास करे तथा इन असम्मिलित गांवों में बहु-प्रतीक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करने के भी प्रयास करे।

<u>रक्षा स्पेक्ट्रम: ऑप्टिबल फाइबर आधारित रक्षा सेवा नेटवर्क</u>

9. समिति नोट करती है कि प्रोजेक्ट नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) रक्षा सेवाओं हेतु नेटवर्क आधारित समर्थित ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) उपबब्ध कराना है

जिसे भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) में दिनांक 16.05.2018 को अपनी बैठक में स्वीकृति की तारीख से 24 महीनों की अवधि में नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना हेतु लागत अनुमान को 13334 करोड़ रूपए से बढ़ाकर 24,664 करोड़ रूपए करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी। परियोजना को मई, 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, परियोजना की विभिन्न निविदाओं से जुड़ी जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि परियोजना को दिसंबर, 2020 तक पूरा किया जाएगा। अब, मार्च, 2020 से कोविड-2019 लॉकडाउन के कारण इसके जून, 2021 तक पूरा होने की आशा है। एनएफसी परियोजना के तीन प्रमुख संघटक है। थल सेना के लिए ओएफसी, नौसेना के लिए ओएफसी और थल सेना तथा नौ सेना के लिए उपस्कर। समिति नोट करती है कि 96 प्रतिशत ओएफसी थल सेना के लिए डाले गए हैं और 94 प्रतिशत लिंक अब तक शुरू किए गए हैं। ओएफसी नौसेना के लिए 84 प्रतिशत हेतु ओएफसी डक्टिंग की गई है। उपस्कर भाग में सभी संघटकों और आपूर्ति संस्थापन, परीक्षण के लिए क्रय आदेश जारी किए जा चुके हैं, विभिन्न संघटकों की कमीशनिंग पूरे जोरों से चल रही हैं। स्पेक्ट्रम जारी करने के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि 22.05.2009 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) और रक्षा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। समझौता ज्ञापन के पश्चात रक्षा मंत्रालय द्वारा 1800 मेगा हर्ट्ज और 2100 मेगा हर्ट्ज में 45 मेगा हर्ट्ज जारी किए गए थे और दूरसंचार विभाग द्वारा इसकी नीलामी से 1,07,757 करोड़ रूपए अर्जित किए गए थे। 15 मेगा हर्ट्ज की स्वैपिंग से भी दूरसंचार विभाग ने 56,190 करोड़ रूपए अर्जित किए थे। रक्षा मंत्रालय द्वारा कल्प्ति स्पेक्ट्रम को रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है और दूरसंचार विभाग द्वारा नीलामी रखी जा चुकी है।

समिति नोट करती है कि नेटवर्क फॉर स्पेक्ट्रम (एनएफएस) परियोजना रक्षा सेवाओं हेतु समर्पित, ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) आधारित नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए संवेदनशील और महत्वपूर्ण परियोजना है। समिति को यह नोट करके थोड़ा

संतोष है कि काफी विलंब और लागत वृद्धि के पश्चात् इसके जून, 2021 तक पूरा होने की आशा है। इस परियोजना को पूरा करने का महत्व इसलिए ही नहीं बढ़ा है कि यह अति महत्वपूर्ण है और रक्षा सेवाओं हेतु समर्पित ओएफसी आधारित नेटवर्क की आवश्यकता है बल्कि इस तथ्य के कारण भी है क्योंकि रक्षा मंत्रालय द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है। जारीकिए जाने के लिए कल्पित स्पेक्ट्रमको रक्षा मंत्रालय द्वारा और दूरसंचार मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए रखा जा चुका है। समिति का यह भी मत है कि परियोजना को जून, 2021 तक पूरा किए जाने की आशा है तो दोनों नोडल मंत्रालयों/विभागों अर्थात रक्षा मंत्रालय और दूरसंचार विभाग के बीच अधिक समीक्षा बैठकें करने की आवश्यकता है क्योंकि सचिव (रक्षा मंत्रालय) और सचिव (दूरसंचार) के बीच अंतिम समीक्षा बैठक अगस्त 2020 को हुई थी। वित्त पोषण पर समिति नोट करती है कि 5440.20 करोड़ रुपए की प्रस्तावित राशि के स्थान पर ब.अ. 2021-22 के स्तर पर 5200 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई है। चूंकि परियोजना पूरी होने वाली है इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए कि परियोजना को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है और धनराशि की कमी के कारण परियोजना में और विलंब न हो। समिति की इच्छा है कि विभाग गंभीरतापूर्वक कार्य करे और सुनिश्चित करे कि परियोजना लक्षित तिथि तक पूरी हो।

<u>दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन केंद्र (टीटीएससीसी)</u>

10. समिति नोट करती है कि 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड बेंगलुरू में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है जो सुरक्षा मानकों (आईटीएसएआर-भारतीय दूरसंचार आश्वासन मानक) को सुगम बनाने तथा सुरक्षा जांच, विधिमान्यकरण तथा सुरक्षा प्रमाणन और सुरक्षा जांच सुविधा सृजन और क्षमता निर्माण में सहायता हेतु सुविधा प्रदान करने के लिए नीतियों को सुगम बनाने में 5जी सुरक्षा के लिए नेशनल टेस्ट बेड के तौर पर कार्य करेगा। तथापि, समिति 2019-20 और 2021-22 के दौरान निधियों के उपयोग की अत्यंत खराब स्थिति को नोट करके चिंतित है। 2019-20 के दौरान सं.अ. आबंटन 5.39 करोड़

रुपए के स्थान पर वास्तविक उपयोग केवल 1 लाख रूपए था। 2020-21 के दौरान स्थिति और खराब है। ब.अ.स्तर पर 10 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई थी जिसे सं.अ. स्तर पर घटा कर 5 करोड़ रूपए कर दिया गया था और 2020-21 का उपयोग शून्य रहा है। समिति यह भी नोट करती है कि 2021-22 के दौरान 50 करोड़ रूपए की राशि का प्रस्ताव रखा है तथापि ब.अ. स्तर पर केवल 15 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। निधियों के कम आबंटन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने समिति को सूचित किया है कि 2020-21 के दौरान विभिन्न कार्यकलाप उदाहरणार्थ परियोजना प्रस्ताव तैयार करना और 5जी सुरक्षा टेस्ट बेड हेतु आकलन किए गए थे। परियोजना प्रस्ताव और परियोजना प्राक्कलन वर्तमान स्वीकृति और अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किए जा रहे हैं और कोविड महामारी की स्थिति के कारण कार्यकलापों में थोड़ा विलंब हुआ है। समिति यह भी नोट करती है कि अति विशिष्ट क्षेत्र होने के कारण दूरसंचार परीक्षण और सुरक्षा प्रमाणन के क्षेत्र में देश में पर्याप्त विशेषज्ञता का सामान्य अभाव है। सुरक्षा जांच में नवीनतम ज्ञान प्रदान करने के लिए आईआईएससी की मदद से प्रशिक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव है। समिति को सूचित किया गया है कि अधिकारियों को सुरक्षा जांच हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु आईआईएससी की मदद से कुछ प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। इन प्रशिक्षणों का आईआईएससी द्वारा प्रबंध किया जाना है। समिति यह भी नोट करती है कि अपेक्षित तकनीकी क्षमता विकसित करने हेतु एकल संस्था प्रौद्योगिकी संबंधी सुरक्षा जांच विशेषता के शीघ्र विकास के लिए उचित नहीं है। अत: एनसीसीएस ने अन्य संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन करने का प्रस्ताव रखा है। यह मामला विभाग के विचाराधीन है।

उपर्युक्त अवलोकनों से समिति नोट करती है कि विभिन्न घटक जैसे कि प्रस्ताव और परियोजना आकलन हेतु स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब, निधियों का उपयोग, पर्याप्त विशेषज्ञता का सामान्य अभाव, तत्काल समाधान की कमी आदि जैसे घटक विभाग के समक्ष परियोजना के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। परियोजना के अनुमोदन के पश्चात ही प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

इसलिए, समिति का मत है कि प्रस्तुत किए जाने वाली परियोजना हेतु शीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए अति महत्वपूर्ण कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। समिति सिफारिश करती है कि यथाशीघ्र अनुमोदन प्राप्त करने के लिए संबद्ध प्राधिकारी पर जोर दिया जाए। कर्मचारियों के प्रशिक्षण के संबंध में समिति यह समझने में असमर्थ है कि आईआईएससी ने अब तक किसी विशिष्ट प्रशिक्षण का प्रबंध क्यों नहीं किया है। समिति का मत है कि सुरक्षा जांच के क्षेत्र में नवीनतम ज्ञान दिए जाने की आवश्यकता है। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि आईआईएफसी द्वारा यथाशीघ्र विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किए जाने चाहिए। समिति सिफारिश करती है कि विभाग के विचाराधीन सुरक्षा विशेषज्ञता के शीघ्र विकास हेतु अन्य संस्थाओं के साथ एनसीसीएस का समझौता ज्ञापन करने के प्रस्ताव को यथाशीघ्र अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। समिति महसूस करती है कि 5जी हेतु सुरक्षा टेस्ट बेड को समय से स्थापित किया जाना चाहिए ताकि 5जी लागू होने से उत्पन्न होने वाली सुरक्षा संबंधी किसी भी चिंता से निपट सके। समिति की इच्छा है कि उसे इस संबंध में की गई सारी प्रगति से अवगत कराया जाए।

<u>दूरसंचार कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (टी-सर्ट)</u>

11. समिति को सूचित किया कि परियोजना डीओटी और अन्य हितधारकों को दूरसंचार नेटवर्क के साइबर हेल्थ में विजिबिलिटी प्रदान करके सशक्त करेगी और साइबर खतरों और रियल टाइम में हमलों के सामने नेशनल क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सुदृढ़ करेगी। अत: प्रतिदिन खराब होते भारतीय साइबर स्पेस को सुचारू रूप से सुरक्षित करने और साइबर हाइजीन को बनाए रखने हेतु विभिन्न एजेंसियों की कार्रवाई योग्य आसूचना सृजित करने में मदद करना संभव होगा। मोटे तौर पर परियोजना इन क्षेत्रों की पहचान करेगी तथा इन पर ध्यान केंद्रित करेगी, जैसे कि बड़े पैमाने पर अटैकर्स और दुर्भावनापूर्ण कार्यकलापों द्वारा कंप्रोमाइज्ड सिस्टम की पहचान करना तथा उनके द्वारा नियंत्रित और शोषण किया जाना, रियल टाइम में अटैक को रोकना, बेनाम कनेक्शन

आदि की पहचान करना, अटैकर्स और पीड़ितों की पहचान करना, आईपी एड्रेस, देश आईएसपी अथवा संगठन तथा रोकने तथा सक्रिय दुर्भावनापूर्ण अपवाद एप्प की पहचान करना तथा ब्लॉक एप्लीकेशन/यूआरएल/आईपी को ब्लॉक करने हेतु अनुपालन को रोकना और ब्लॉक किए जाने वाले सर्वरों पर अतिरिक्त सूचना सृजित करना। समिति नोट करती है कि ऐसी महत्वपूर्ण योजना के लिए 2019-20 और 2020-21 के दौरान निधियों के उपयोग की स्थिति अत्यंत निराशाजनक रही। 2019-20 के दौरान, सी-डॉट को कोई निधि जारी नहीं की गई क्योंकि निधि के उपयोग की प्रगति के आधार पर आरई चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा कम समग्र आवंटन के कारण आरई को घटाकर 'शून्य' कर दिया गया था। 2020-21 में, कोरोना महामारी के कारण द्वारा आपूर्ति में अक्षमता के हवाले से सी-डॉट द्वारा दिए गए परियोजना उपकरणों से संबंधित कई खरीद आदेश विक्रेताओं रद्द कर दिए गए थे। अब खरीद के आदेश फिर से दिए गए हैं। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी से समिति नोट करती है कि सी-डॉट को 6.47 करोड़ रुपये जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए मामला प्रस्तुत किया जा रहा है। वर्ष 2021-22 के लिए, विभाग ने 127.82 करोड़ रुपये की राशि प्रस्तावित की है, तथापि, बीई 2021-22 में मात्र 23 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। विभाग ने अब समिति को सूचित किया है कि इस परियोजना के पैन इंडिया रोल-आउट को ध्यान में रखते हुए, आरंभ में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 22 आईएसपी गेटवे और सीईआरटी-टी के लिए एनओसी/एसओसी हेतु डाटा सेंटर की स्थापना करते हुए, यह राशि प्रस्तावित की गई है। तथापि, आवंटन में कमी से परियोजना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और उद्देश्य को प्राप्त करना मुश्किल होगा। विभाग का प्रस्ताव आरई स्तर पर अतिरिक्त राशि की मांग करने का है। उन्होंने आगे बताया है कि डीपीआर के मूल्यांकन के लिए समिति के गठन के प्रस्ताव पर कार्रवाई चल रही है। डीपीआर को अंतिम रूप देने और मंजूरी देने में तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

समिति नोट करती है कि इस परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पहले कदम के रूप में, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अनुमोदित किया जाना चाहिए। हालांकि यह समिति यह नोट करके चिंतित है कि डीपीआर के प्रस्तावित हो जाने के बावजूद इसकी जांच के लिए एक समिति का गठन होना शेष है। समिति पाती है कि डीपीआर की मंजूरी के बाद ही 22 आईएसपी के लिए उपकरण खरीदे जा सकते हैं और निधि जारी की जा सकती है। डीपीआर को समय पर मंजूरी दिए बिना 2021-22 के दौरान भी फंड के उपयोग की स्थिति में सुधार की संभावना नहीं है। रोजमर्रा के आधार पर खराब होते भारतीय साइबर स्पेस को देखते हुए साइबर हाइजीन में सुधार की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि डीपीआर की जांच के लिए समिति का गठन जल्द से जल्द किया जाए और बिना किसी देरी के डीपीआर को मंजूरी दी जाए ताकि इस परियोजना को पूरा किया जा सके जिससे देश में साइबर हाइजीन और सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी। समिति यह भी सिफारिश करती है कि जल्द से जल्द अनुमोदन भी दिया जाए जिससे सी-डॉट को 6.47 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा सके।

<u>सरकारी उपक्रमों के कार्यकरण की समीक्षा:</u>

<u>बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार योजना का कार्यान्वयन</u>

12. समिति नोट करती है कि बीएसएनएल का खर्च सालाना 34,400 करोड़ रुपये से घटकर 24,687 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (9 महीने के आंकड़ों का वार्षिक आधार पर निर्धारित मूल्य) मुख्य रूप से पुनरुद्धार पैकेज के अंग के रूप में वीआरएस के कारण होने वाले कर्मचारी लाभ व्यय में बचत के कारण हुआ है। तथापि, राजस्व में वृद्धि न होने का कारण मुख्य रूप से 4जी सेवाएं शुरू न होना है। इसके अलावा, भूमि परिसंपत्तियों का अनुमानित मुद्रीकरण नहीं हुआ। बीएसएनएल ने कहा है कि उसे वित्त वर्ष 2023-24 के बाद से लाभकारी होने की उम्मीद है, बशर्ते राजस्व की पूर्ण प्राप्ति और

सेवाओं से नकदी प्रवाह के साथ-साथ पुनरुद्धार पैकेज के प्रसंस्करण के चरण में परिकल्पित भूमि परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण हो। एमटीएनएल के संबंध में, पुनरुद्धार पैकेज के अंग के रूप में वीआरएस के कारण, मुख्य रूप से कर्मचारी लाभ व्यय में बचत के चलते कुल व्यय 5922.70 करोड़ रुपये प्रति वर्ष से घटकर 4264 करोड़ रुपये प्रति वर्ष (9 महीने के आंकड़ों का वार्षिक आधार पर निर्धारित मूल्य) हो गया है। बीएसएनएल और एमटीएनएल दोनों के लिए सितंबर, 2020 को समाप्त होने अर्द्धवार्षिकी और दिसंबर, 2020 को समाप्त होने वाले नौ महीनों के लिए ईबीआईटीडीए सकारात्मक रहा। समिति नोट करती है कि वर्ष 2021-22 के लिए अनुमानित कुल हानि बीएसएनएल के मामले में 9201 करोड़ रुपये और एमटीएनएल के मामले में 2519.59 करोड़ रुपये का है। समिति यह भी नोट करती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के विलय की दिशा में एक कदम के रूप में और बीएसएनएल को अपनी सेवाओं की मौजूदगी समूचे भारत में बनाने में सक्षम करने के लिए, मंत्री समूह (जीओएम) ने 21.12.2020 को बैठक में दिल्ली और मुंबई में बीएसएनएल को 4जी सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम आवंटन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। ऐसी अपेक्षा है कि 4जी सेवाएं शुरू होने से वायरलेस सेगमेंट में बीएसएनएल का राजस्व बढ़ेगा।

समिति को सूचित किया गया है कि 1 अप्रैल, 2021 से एमटीएनएल की वायरलेस सेवाओं का बीएसएनएल द्वारा अधिग्रहण कर लिया जाएगा और मुंबई और दिल्ली के लिए 4जी स्पेक्ट्रम एमटीएनएल की बजाय बीएसएनएल को दिया जाएगा। समिति को यह बताया गया है कि स्पेक्ट्रम 20 वर्ष की अवधि के लिए आवंटित किया जाता है। इसलिए यह बीएसएनएल के हित में है कि 20 साल की अवधि उस समय से शुरू हुई जब बीएसएनएल वास्तव में स्पेक्ट्रम का उपयोग करने में सक्षम है। अन्यथा बीएसएनएल को स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना होगा और अवसर की लागत बहुत अधिक होगी। यह बीएसएनएल के हित में है कि उन्हें जून-जुलाई में किसी समय 4जी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो। आगे समिति को विभाग द्वारा सूचित किया गया कि आज की तारीख में ऐसी एक भी भारतीय कंपनी नहीं है जो उन्हें 4जी के वह उपकरण दे सके जिनका उपयोग

विशाल नेटवर्क के लिए किया जा सके। 1 जनवरी, 2021 को नए सिरे से टेंडर निकाला गया है, जिसमें प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होगा जो अनुभव का विकल्प बनेगा। टीसीएस, टेक महिंद्रा, स्टरलाइट और एलएंडटी जैसी अग्रणी कंपनियों ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए दस्तावेज खरीदे हैं। बीएसएनएल के पास प्री-बिड मीटिंग के बाद करीब 1600 क्वेरीज आई हैं, जिनका उत्तर शीघ्र ही दिया जाएगा।

समिति यह नोट करती है कि वीआरएस तथा पुनरुद्धार योजना की अन्य मदों के सफल कार्यान्वयन के बावजूद बीएसएनएल और एमटीएनएल का राजस्व न बढने का मुख्य कारण 4जी सेवाएं शुरू न होना है। समिति नोट करती है कि प्रौद्योगिकी के लिहाज से बाजार आज बहुत अलग ढंग से आगे बढ़ रहा है और बीएसएनएल आगे नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि बीएसएनएल के पास 4जी तकनीक और 4जी उपकरण उपलब्ध नहीं है। आज 97 प्रतिशत डेटा डाउनलोड 4जी पर हो रहा है और बीएसएनएल नेटवर्क भारत के नेटवर्क का केवल 0.7 प्रतिशत का है। इस परिस्थिति में बीएसएनएल से अन्य टीएसपी से मुकाबला करने की उम्मीद करना महत्वाकांक्षा की बात है। 4जी सेवाओं के शुरू न होने से बीएसएनएल और एमटीएनएल की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है जिससे वे सरकारी सहायता के बिना अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दूरसंचार बाजार से बाहर हो जाने की कगार पर आ चुके हैं। समिति का यह भी मानना है कि बीएसएनएल का पुनरुद्धार घरेलू दूरसंचार उपकरण निर्माताओं के लिए अत्यंत हितकारी होगा। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि विभाग द्वारा ईमानदारीपूर्वक प्रयास किए जाएं ताकि बीएसएनएल जल्द से जल्द 4जी सेवाएं शुरू कर सके। यह जानना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीएसएनएल द्वारा 4जी सेवा अभी शुरू नहीं की गई है जबकि अन्य टीएसपी देश में 5जी सेवाओं को शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। समिति का दृढ़ मत है कि जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो बीएसएनएल और एमटीएनएल के साथ विभाग का दृष्टिकोण प्रतिस्पर्धा का अनुसरण करने का होता है, न कि प्रतिस्पर्धा से आगे रहने का प्रयास करने का। समिति चाहती है कि बीएसएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में और देरी न हो और उन्हें जल्द से जल्द 4जी सेवा शुरू करने की अनुमति दी जाए।

<u>बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि/भवन/टावर/फाइबर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण</u>

13. समिति नोट करती है कि भूमि/भवन और टावर परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण बीएसएनएल और एमटीएनएल के पुनरुद्धार के घटकों में से एक है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बीएसएनएल और एमटीएनएल में मुद्रीकरण के लिए चिह्नित भूमि/भवन परिसंपत्तियों का कुल मूल्य क्रमश: 67837 करोड़ रुपये और 17985 करोड़ रुपये है। वर्ष 2021-22 के दौरान बीएसएनएल और एमटीएनएल की भूमि/भवन परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण से अपेक्षित राजस्व क्रमश 1200 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये है। विभाग ने समिति को सूचित किया है कि पिछले एक साल के दौरान मुद्रीकरण में समस्या आई क्योंकि भूमि और किराए की कीमतों में कमी आई है। 2021-22 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने जा रहा है क्योंकि विभाग को अधिक संपत्तियों के मुद्रीकरण की उम्मीद है। बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास कोर और नॉन-कोर, दो तरह की परिसंपत्तियां हैं। नॉन-कोर परिसंपत्तियां भूमि पार्सल हैं और कोर संपत्ति फाइबर और टावर हैं। अपनी कोर परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण में वे तेजी से आगे बढ़े हैं। बीएसएनएल के पास 68,000 टावर हैं, जिनमें से 13,000 टावरों का किराया मिल रहा है। उन्हें सालाना 1000 करोड़ से ज्यादा मिल रहे हैं, जो सकल आधार पर टावरों के किराए से होने वाली आय है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि उन्हें फाईबर मुद्रीकरण हेतु 400 करोड़ रूपये भी प्राप्त हुए। अब वे अपने टावरों का प्रतिभूतिकरण कर बैंक को रेंटल स्ट्रीम प्रदान कर अग्रिम राशि ले रहे हैं। अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/बैंक अब बातचीत कर निर्णय के अंतिम चरण में हैं।

उपर्युक्त टिप्पणियों से समिति यह नोट करती है कि बीएसएनएल और एमटीएनएल के पास कोर और गैर-कोर परिसम्पत्तियों का अपार भंडार है। कोर और गैर-कौर परिसम्पत्तियों का मुद्रीकरण उनके लिए बृहत संसाधन सृजित कर सकता है जो न केवल उनके पुन: प्रयत्न के लिए उपयोग किया जा सकता है तथापि राजस्व स्ट्रीम

का एक सतत् स्त्रोत भी बन सकता है। समिति सिफारिश करती है कि इन दोनों कम्पनियों की अपार परिसम्पत्तियों का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त करने के लिए एक उचित अध्ययन किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक समिति का विधिवत गठन किया जा सकता है। समिति इस बात से प्रसन्न है कि बैंकों को रेंटल स्ट्रीम देकर उनके टावरों का मुद्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। समिति महसूस करती है कि सृजित सरकारी परिसम्पत्तियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का यह एक नया तरीका है । समिति सिफारिश करती है कि विधि/भवन और टावर/फाईबर परिसम्पत्तियों का सफलतापूर्ण मुद्रीकरण के लिए विभाग को नए तरीके और साधन ढूंढने चाहिए।

<u>आई टी आई लिमिटेड का कार्य निष्पादन</u>

14 समिति नोट करती है कि वर्ष 2017-18 के दौरान आई.टी.आई. का सकल लाभ 213 करोड. रूपए, 2018-19 के दौरान 93 करोड. रूपए और 2019-20 के दौरान 151 करोड. रूपए था। वर्ष 2020-21 के लिए 31 दिसम्बर, 2020 की तिथि के अनुसार कुल आय 1192.50 करोड. रूपये था और कुल व्यय 1382.59 करोड. रूपये था जिसमें सकल घाटा 190.09 करोड़ रूपये था। समिति को सूचित किया गया है कि यह गिरावट कोविड-19 महामारी के कारण है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले तिमाही के दौरान उपलब्धियों में मामूली गिरावट देखा गया तथापि आई.टी.आई. को वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत तक कार्यनिष्पादन को पुन: प्राप्त करने की उम्मीद है। वर्ष 2021-22 के लिए आई.आई.टी. का अनुमानित आय व्यय के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि यह राशि 3029.60 करोड. रूपये और 2676.97 करोड. रूपये क्रमश: है और इसके मद्देनजर सकल लाभ 352.63 करोड. रूपये होने की संभावना है। समिति इस बात से भी अवगत है कि आई.आई.टी. पुनरूद्धार योजना के अंतर्गत सी.सी.ई.ए. द्वारा 2264 करोड़ रूपए का पूंजी निवेश स्वीकृत किया गया था जिसमें से आई.टी.आई. को अब तक 874

करोड़ रुपए प्राप्त हुए। शेष 1390 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न पुरूद्धार परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अपेक्षित है । 874 करोड़ रूपए की आबंटित पूंजी का पूर्ण निवेश से आई.टी.आई. 31.12.2020 की तिथि के अनुसार 2016-17 से 2020-21 के दौरान 2150.70 करोड़ रूपए मूल्य का ग्राहक आदेश प्राप्त कर सकता है और आई.टी.आई. इन आदेशों के मद्देनजर 1151.92 करोड़ रूपए की राशि का राजस्व सृजित करने में सफल रहा है। जहां तक वर्ष 2021-22 के लिए धन आबंटन का संबंध है तो बजट आंकलन 2021-22 में इसके लिए 305 करोड़ रूपए का अनुरोध किया गया था। तथापि इस संदर्भ में मात्र 80 करोड़ रूपए ही आबंटित किया गया । समिति यह भी नोट करती है कि आई.टी.आई. को पुनरूद्धार योजना के क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड. रहा है जैसे कि प्रमुख ग्राहकों से ऑर्डर प्राप्त करने में दिक्कत, कार्यकारी पूंजी की कमी, निजी दूर संचार वेंडरों से बाजार में प्रतिस्पर्धा, दूर संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित उत्पादों का भारी मात्रा में अप्रचलन, कोविड-19 महामारी आदि है। समिति को यह भी सूचित किया गया कि अब तक आई.टी.आई. को 5 जी टैलीकॉम उपकरण का निर्माण करने की तकनीक नहीं है। आई.टी.आई. ने टेक महिन्द्रा, टी.सी.एस. और मेवीनीर जैसी कंपनियों के साथ मिलकर 4 जी टेक्नॉलोजी में भागीदारी की है। आई.टी.आई. इन भागीदारियों के साथ मिलकर भविष्य में 5जी टेक्नॉलोजी पर कार्य करेगा ।

समिति की यह राय है कि 'मेक इन इंडिया', 'स्किल इंडिया' 'डिजिटल इंडिया' आदि जैसे भारत सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में आई.टी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। तथापि, समिति यह नोट करती है कि पुनरूद्धार योजना के अनुसार आई.टी.आई. पूंजीगत व्यय के लिए आई.टी.आई. को धन का आबंटन संतोषजनक नहीं है। कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 2264 करोड़ रूपए की राशि में से आई.टी.आई. को अब तक मात्र 874 करोड़ रूपए प्राप्त हुए हैं। इस राशि से आई.टी.आई. 1152.92 करोड़ रूपए की राजस्व का सृजन करने में सक्षम रहा है। दूर संचार उकरणों का निर्माण करने वाला आई.टी.आई. चूंकि एक मात्र सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। अत:

इसके पुनरूद्धार योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए इस पर विशेष बल दिए जाने की आवश्यकता है जहां पर्याप्त धन का प्रवाह बना रहे। तथापि, यह नोट करके समिति क्षुब्ध है कि धन का आबंटन इसके पुनरूद्धार योजना के अनुरूप नहीं है। 2021-22 के दौरान बजट आंकलन के समय इसके लिए मात्र 80 करोड़ रूपए की राशि आबंटित की गई जबकि प्रस्तावित राशि 305 करोड़ रूपए की थी। समिति सिफारिश करती है कि पुनरुद्धार योजना के अनुसार पर्याप्त निधि का आवंटन किया जाए ताकि आईटीआई एक अग्रणी दूरसंचार उपकरण के निर्माता के रूप में उभर सके जो न केवल देश में दूरसंचार उपकरण की आवश्यकता को पूरा करेगा बल्कि दूरसंचार उपकरणों का निर्यात भी करेगा। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सतत प्रौद्योगिकी उन्नयन की आवश्यकता है ताकि आई.टी.आई. के पास अद्यतन दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण करने की प्रौद्योगिकी आ सके। समिति इच्छा व्यक्त करती है कि सरकार को आईटीआई को सतत सहयोग देना चाहिए ताकि यह 5जी सहित विभिन्न दूरसंचार उपकरणों के विनिर्माण में आगे बढ़ने का साहस कर सके। इस संबंध में संशोधित अनुमान स्तर पर आवश्यक प्रावधान करने के लिए समिति की चिंता से वित्त मंत्रालय को अवगत कराया जाए।

<u>टेलीमेटिक्स विकास केंद्र (सी -डॉट)</u>

15 समिति नोट करती है कि सी डॉट दूरसंचार विभाग का स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास केंद्र है तथा यह राष्ट्र में स्वदेशी दूरसंचार क्रांति लाने की अपनी महती भूमिका के लिए व्यापक रूप से जाना जाता रहा है। यह दूर संचार प्रौद्योगिकी में वृहत्तर आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में भारत के लिए सहायक रहा है तथा देश में दूरसंचार उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देता रहा है। इसने गत 10 वर्षों में 27 विनिर्माताओं के साथ 90 प्रद्योगिकी अंतरण समझौते किए हैं। समिति को बताया गया है कि पर्याप्त वित्तपोषण की उपलब्धता के अधीन रहत हुए सीडॉट भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्रीय आवश्यकता को पूरा करने तथा इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना द्वारा अपनी

भूमिका का विस्तार करना चाहता है। यह उत्कृष्टता केंद्र प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता निर्माण तथा ज्ञान के प्रसार को संभव बनाएंगे। तथापि विश्व में बड़े दूरसंचार अनुसंधान विकास कंपनियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए कई बिलियन डालर के बजट की तुलना में सी डॉट को अनुसंधान और विकास के कार्यों के लिए मिल रहे वित्त पोषण की धनराशि अत्यंत कम है । भारत की दूरसंचार क्षेत्र में डिजाइन से लेकर आईपीआरसृजन तक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पैमाने पर विनिर्माण करने हेतु अनुसंधान एवं विकास के लिए अनेक क्षेत्रों में उत्कृष्ट केंद्रों की स्थापना के प्रस्ताव के लिए सी-डॉट के वर्तमान में मिल रहे अनुदान की धनराशि 300 करोड़ रूपए को भारी मात्रा में बढ़ाकर 2000 करोड रुपए प्रति वर्ष करने की जरूरत होगी।

समिति नोट करती है कि सी-डॉट को प्राप्त अनुदान में वेतन स्टाफ लाभ का अनुपात 2016 17 से धीरे-धीरे बड़ा है। 2018-19 के दौरान अनुदान की धनराशि में वेतन और स्टाफ लाभ के अनुपात 92.83% था जो 2019-20 में बढ़कर 97.57% हो गया और 2000 2021 में दिसंबर 2020 तक यह अनुपात 105.06% रहा है। इस कारण से सी-डॉट द्वारा दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए अत्यंत अल्प धनराशि आवंटित की जा सकी। दूरसंचार क्षेत्र के प्रौद्योगिकी प्रधान होने के कारण विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास का कार्य करने की आवश्यकता है। अनुसंधान और विकास के बिना वास्तव में देश में सही अर्थों में विनिर्माण संभव नहीं हो पाएगा। यह तथ्य है कि अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे 5जी और उससे ऊपर की प्रौद्योगिकी एआई और संज्ञानात्मक विज्ञान आदि में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना करने के प्रस्तावों के लिए नि:संदेह सी-डॉट को मिलने वाली धनराशि में बहुत अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता होगी। वर्तमान में मिलने वाली धनराशि अर्थपूर्ण अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप के लिए अत्यंत अपर्याप्त है। समिति भारत में उभरते दूरसंचार बाजार की विशिष्ट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त रूपरेखा तैयार करने के लिए सी.डॉट सी से सिफारिश करती है और जो बाद में सक्षम प्राधिकारी के पास विचार करने एवं अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। समिति का

मत है कि इस उपाय से स्वदेशी उद्योग को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी और सी.डॉट को ऐसे उपाय करने के लिए सहयोग दिया जाना चाहिए। इसी के साथ विभाग द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए सी.डॉट के बजटीय आवंटन में आवधिक वृद्धि किए जाने हेतु वित्त मंत्रालय के साथ बातचीत की जानी चाहिए।

नई दिल्ली; **डॉ. शशि थरूर,**

08 मार्च, 2021 **सभापति,**

17 फाल्गुन, 1942 (शक) **सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति**

परिशिष्ट- एक

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की 13 फरवरी, 2021 को आयोजित बीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक शनिवार, 13 फरवरी, 2021 को 1400 बजे से 1540 बजे तक समिति कक्ष 'बी', संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्रीमती लॉकेट चटर्जी
3. सुश्री महुआ मोइत्रा
4. श्री संतोष पान्डेय
5. डॉ. जी. रणजीत रेड्डी
6. श्री तेजस्वी सूर्या
7. डॉ. टी. सुमति तामिझाची
8. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

9. श्री सैयद नासिर हुसैन
10. श्री सैयद जफर इस्लाम

सचिवालय

1. श्री एच. राम प्रकाश	-	निदेशक
2. डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
3. श्री शांगरीसो जिमिक	-	उप सचिव

साक्षियों की सूची

संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग)

क्र. सं.	नाम	पद
1.	श्री अंशु प्रकाश	सचिव
2.	श्री पी. के. सिन्हा	सदस्य (एफ)
3.	श्री के. रामचंद	सदस्य (टी)
4.	श्री भरत कुमार जोग	सदस्य (एस)
5.	सुश्री अनीता परवीन	अपर सचिव (टी)
6.	सुश्री अंशुलि आर्या	प्रशासक, यूएसओएफ
7.	श्री पी. के. परवार	सीएमडी, बीएसएनएल
8.	श्री सर्वेश सिंह	सीएमडी, बीएसएनएल
9.	डॉ. राज कुमार उपाध्याय	कार्यकारी निदेशक, सी- डॉट
10.	श्री एस. के मिश्रा	प्रधान सलाहकार, ट्राई

2. सर्वप्रथम, सभापति ने दूरसंचार विभाग की अनुदानों की मांगों (2021-22) पर संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लेने हेतु आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

(तत्पश्चात, दूरसंचार विभाग के प्रतिनिधि बुलाए गए।)

3. विभाग के प्रतिनिधियों का स्वागत करने के पश्चात्, सभापति ने विभाग को पावर प्वाइंट प्रस्तुति को छोड़ने और इसकी बजाए बजट का व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करने और फिर प्रमुख मुद्दों पर प्रश्न-उत्तर सत्र को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। मंत्रालय ने समिति द्वारा जांच की गई 'अन्य संचार सेवाओं' मद के तहत आवंटन में कमी के कारणों के बारे में बताया। सदस्यों ने अन्य बातों के साथ-साथ 2020-21 के दौरान निधियों के उपयोग की स्थिति, यूएसओएफ के भारी मात्रा में शेष के कारण, यूएसओएफ के तहत योजनाओं के कार्यान्वयन, बीएसएनएल और एमटीएनएल की पुनरुद्धार योजना के कार्यान्वयन की प्रगति, बीएसएनएल और एमटीएनएल का कार्य-निष्पादन, टी- सीईआरटी के तहत प्रस्तावित और बजट अनुमान आवंटन के मध्य भिन्नता आदि के बारे में भी प्रश्न पूछे जिनके उत्तर विभाग द्वारा दिए गए।

4. विभाग और बीएसएनएल के प्रतिनिधियों ने समिति को बीएसएनएल और एमटीएनएल को 4जी स्पेक्ट्रम के आवंटन में देरी के कारणों, बीएसएनएल और एमटीएनएल के प्रदर्शन में बाधा डालने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों, वीआरएस के कार्यान्वयन की स्थिति, भूमि/भवन और टावरों की परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण, बीएसएनएल को एलडब्ल्यूई फेज-2 आवंटित नहीं करने के कारण, 5जी परीक्षणों को शुरू करने की स्थिति, राज्य प्रायोजित मॉडल के तहत भारतनेट के कार्यान्वयन में देरी के कारण, टी-सीईआरटी के तहत निधियों के उपयोग आदि की जानकारी दी।

5. सभापति ने निर्देश दिया कि जिन बिंदुओं पर तत्काल रूप से सूचना उपलब्ध नहीं थी, उनके लिखित उत्तर समिति को प्रस्तुत किए जाएं। तत्पश्चात, सभापति ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) के प्रतिनिधियों को समिति के समक्ष साक्ष्य देने के लिए धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात, साक्षीगण बैठक से चले गए।
बैठक की शब्दश: कार्यवाही को रिकॉर्ड में रखा गया है।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

<u>परिशिष्ट- दो</u>

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (2020-21) की इक्कीसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश।

समिति की बैठक सोमवार, 8 मार्च, 2021 को 1400 बजे से 1530 बजे तक समिति कक्ष सं. 3, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

डॉ. शशि थरूर - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री संतोष पान्डेय
3. सुश्री महुआ मोइत्रा
4. श्री पी. आर नटराजन
5. कर्नल राज्यवर्धन राठौर
6. श्री संजय सेठ
7. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा

राज्य सभा

8. श्री वाई. एस. चौधरी
9. श्री शक्तिसिंह गोहिल
10. श्री सैयद नासिर हुसैन
11. श्री सैयद जफर इस्लाम

सचिवालय

1. श्री वाई. एम. कांडपाल	-	अपर सचिव
2. डॉ. सागरिका दास	-	अपर निदेशक
3. श्री शांगरीसो जिमिक	-	उप सचिव

2. सर्वप्रथम, सभापति ने अपने क्षेत्राधीन मंत्रालयों/विभागों से सम्बंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) संबंधी प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने हेतु आयोजित समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु लिया:-

(एक) ...xxxx.... xxxx.... xxxx.... xxxx....

(दो) संचार मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अनुदानों की मांगों (2021-22) पर प्रारूप प्रतिवेदन।

(तीन) ..xxxx.... xxxx.... xxxx.... xxxx....

(चार) ...xxxx.... xxxx.... xxxx.... xxxx....

4. विचार-विमर्श के उपरांत, समिति ने कुछ संशोधनों के साथ उपरोक्त प्रतिवेदन को स्वीकार किया।

5. समिति ने सभापति को तथ्यात्मक सत्यापन, यदि कोई हो, के बाद प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और संसद के वर्तमान सत्र के दौरान उसे सभा में प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

6. ...xxxx.... xxxx.... xxxx.... xxxx....

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

---

xxxx.... मामला प्रतिवेदन से सम्बंधित नहीं है।